हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न बजे आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

10/04/2015/1100/RG/AG/1

प्रश्न सं. 2133

अध्यक्ष : प्राधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें कहा गया है कि यदाकदा घोड़े/खच्चर वाले क्षेत्र में अवध खनन करने का प्रयास करते पाए जाते हैं। इन्होंने स्वयं ही माना है कि वहां अवैध खनन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको रोका जाए। अगर यह अवैध खनन नहीं रुकता है, तो जो घाट है वह तो जाएगा ही ,साथ में शिव मंदिर को भी खतरा उत्पन्न होगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि यहां जो अवैध खनन होता है उसको रोका जाए ताकि मंदिर की लैण्ड स्लाइडिंग भी रुके और घाट भी बचे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता ठीक है और सरकार ने यह फैसला लिया है कि जहां भी धार्मिक स्थल है ,मंदिर है या नदी के किनारे कोई धार्मिक स्थल है उन स्थलों पर रेत, बजरी इत्यादि निकालने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यह ठीक है कि वहां जब हमारे माइनिंग गार्ड्ज गए, तो उन्होंने घोड़े वालों को पकड़ा और उनको 10,000/-रुपये का जुर्माना भी किया है। लेकिन अब विभाग को हिदायत दे दी गई है कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर खनन न किया जाए। यह ठीक है कि इनके चुनाव क्षेत्र में जो खीर गंगा है और ऊपर बहुत पुराना शिव मंदिर है जिसके नाम पर वहां शिव रात्रि का मेला भी होता है। तो विभाग को यह हिदायत दी जा रही है कि उस जगह पर विशेष तौर पर ख्याल रखे और इस जगह पर ऐसा अवैध खनन बिल्कुल भी न हो।

प्रश्न समाप्त

2/-

10/04/2015/1100/RG/AG/2

प्रश्न सं. 2134

श्री विजय अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि जन शिकायत निवारण शिविर लगाने का

अधिकार उपायुक्त व उप-मण्डल अधिकारी को है। लेकिन जो वास्तव में देखने को मिलता है जैसे नदौन विधान सभा क्षेत्र में पिछले छः महीनों में चार ऐसे शिविर आयोजित किए गए जिसमें पहला रैल में, उसके बाद रंगस में, उसके बाद किटपल और परसों 8 अप्रैल को नदौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फाल में ऐसे जन शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया जो समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ और जिसकी अध्यक्षता पी.सी.सी. प्रैजीडैंट ने की। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि वे अधिकृत नहीं हैं ,तो ऐसे जो शिविर लगाए गए हैं क्या उनकी छानबीन करेंगे और छानबीन करके क्या ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों और ऐसे लोगों के या नेताओं के विरूद्ध कार्रवाई करेंगे जो अनधिकृत रूप से यह चेष्टा कर रहे हैं? क्योंकि पूरा-का-पूरा प्रशासन इन शिविरों में बैठ जाता है और जो अधिकृत ही नहीं हैं ऐसे लोग शिविर लगाए जा रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि उधर रंगस में जन शिकायत निवारण शिविर में सारे अधिकारी चले गए और वे उक्त नेता ही उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ब्लॉक ऑफिस में बी.डी.सी. की मीटिंग चल रही थी उसमें कोई भी अधिकारी नहीं आया और बी.डी.सी. मेम्बर्ज को मजबूरन वह बैठक कैंसल करनी पड़ी। क्या आप इनको रोकेंगे और जो हुआ है उसकी छानबीन करके इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न का बहुत विस्तृत उत्तर दिया है ,लेकिन इन्होंने एक खास मामले का जिक्र किया है और इन्होंने यह बात मेरे ध्यान में लाई है ,तो मैं इसके बारे में छानबीन करुंगा।

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी अगले वक्ता शुरू

10/04/2015/1105/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 2134 क्रमागत---

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सही मायने में यह बहुत ही जैनुअन प्रश्न है जिसका माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न भी किया है। यह केवलमात्र एक विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसा है। जहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वहां पर आए दिन कोई-न-कोई कांग्रेस पार्टी के छोटे कार्यकर्त्ता से लेकर

जो आपने आगे चेयरमैन/वाइस चेयरमैन बनाए हैं, वहां तक जिनको आपने शक्तियां नहीं दे रखी हैं, वे भी वहां पर प्रशासन को लेकर जनता दरबार के नाम पर वहां दरबार लगा रहे हैं। वैसे न्यायालय के भी ऐसे आदेश हैं कि ये दरबार नहीं लगा सकते हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे व्यक्ति, जैसे आपने कहा है कि दरबार नहीं लगा सकते हैं और प्राधिकृत भी नहीं हैं, क्या उनको सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे दरबार वे पूरे प्रदेश में न लगाएं ताकि प्रशासन ठीक ढंग से पूरे प्रदेश में काम कर सके। जो भी अधिकारी/कर्मचारी वहां जाते हैं ,वे ठीक ढंग से पूरे प्रदेश को अपना प्रशासन मुहैया करवाए?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो जन सम्पर्क शिविर लगाए जाते हैं, इसके नियम हैं। उसमें सब-डिवीजन ऑफिसर, एस0डी0एम0 और जिलाधीश ये अपने-अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं और उनके साथ क्षेत्रीय अधिकारी, अगर डिप्टी कमिशनर हो तो जिला अधिकारी और सब-डिवीजन का शिविर हो तो सब-डिवीजन के अधिकारी साथ रहेंगे। इसके अलावा कोई अधिकृत नहीं है।

प्रश्न समाप्त/

10/04/2015/1105/MS/AG/2

प्रश्न संख्याः 2135

श्री मनोहर धीमानः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाकी आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कब तक हो जाएगा? एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि CDPO का इंदौरा का कार्यालय भवन अपना नहीं है। वहां कार्यालय का निर्माण कब तक किया जाएगा? इसके अलावा, तहसील वेल्फेयर ऑफिसर का पद दो वर्षों से खाली चल रहा है। जहां तक मेरे ध्यान में है, फतेहपुर में भी नहीं है और नुरपूर में भी नहीं है। वहां एक बाबू है और वह भी यदि कभी फतेहपुर चला जाता है तो कार्यालय बंद रहता है। इसका पद कब तक भर दिया जाएगा? इसका भी अपना कार्यालय भवन नहीं है। इसके भवन का भी निर्माण कब तक कर दिया जाएगा? मैं इस बारे में आश्वासन चाहूंगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से अवगत हूं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो आंगनबाड़ी भवन बनने हैं ,उनमें आठ इंदौरा के अंतर्गत बनने हैं। उसमें से छः बन चुके हैं, एक आंगनबाड़ी भवन निर्माणाधीन है और एक भवन का निर्माण कार्य भूमि विवाद के कारण शुरू नहीं हो पाया है। वैसे पूरे कांगड़ा के बारे में मैं मान्य सदन को भी बताना चाहता हूं कि वहां वर्ष 2007-08 से लेकर वर्ष 2014-15 तक 203 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु 501लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। अब पूरे प्रदेश में इस साल 160 आंगनबाड़ी भवनों को बनाने का लक्ष्य है। उसमें 68 विधान सभा क्षेत्रों में वहां की भूमि की उपलब्धता और जिस प्रकार का फण्ड आता रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन कार्य शुरू किए जाएंगे। जहां तक तहसील वेल्फेयर ऑफिसर का ताल्लुक है, तहसील वेल्फेयर ऑफिसर का। can assure the Hon'ble Member that soon you will get TWO.

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जहां-जहां धन की उपलब्धता होगी और ज़मीन दी जाएगी ,वहां पर भवन बनाए जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पुराने भवन, जितना ईयरमार्क्ड पैसा

10/04/2015/1105/MS/AG/3

उन भवनों के लिए है, तो जहां-जहां प्रदेश में ऐसे कार्य अधूरे हैं, क्या उनको पूरा करने के लिए धन का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में करेंगे और उनको पूरा करने के बाद आंगनवाड़ी केन्द्रों को हैंडओवर करेंगे, जिस उद्देश्य के लिए वे भवन बनाए गए हैं?

मंत्री जी का जवाब श्री जे0के0 द्वारा-----

10/1110/04.2015.जेके/जेटी/1

प्रश्न संख्याः ------**2135जारी**------

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात पूछी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देना चाहता हूं। इस वर्ष प्रदेश में 18,916 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं, 1,481 आंगनवाड़ी केन्द्र अपने विभागीय भवनों में है, 6872 आंगनवाड़ी केन्द्र अन्य सरकारी भवनों में और 10,563 आंगनवाड़ी भवन

निजी भवनों में चल रहे हैं। जहां तक आपके प्रश्न का ताल्लुक है। अध्यक्ष महोदय, जो आंगनवाड़ी भवन बन रहे हैं उनको शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। हम और ज्यादा भवन बनाने के लिए प्रयासरत्त हैं और इसके लिए प्रयास किया जाएगा कि जो धन उपलब्ध है उसके अलावा और अतिरिक्त धन उन आंगनवाड़ी भवनों को शीघ्र पूरा करने के लिए लगा दिया जाएगा।

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नूरपुर में भी तहसील वैलफेयर ऑफिसर काफी अर्से से नहीं है। दो लिपिक ही वहां पर काम चला रहे हैं। मैं, माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि नूरपुर में भी शीघ्र तहसील वैलफेयर ऑफिसर लगाया जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का प्रश्न तो इन्दौरा से सम्बन्धित था। But I do appreciate the concern of the Hon. Member about the TWO. He will also get the TWO soon.

Concluded.

10/1110/04.2015.जेके/जेटी/2

प्रश्न संख्याः 2136

श्री रविन्द्र सिंह(प्राधिकृत) :माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो ज़वाब दिया है कि ऊहल जल विद्युत परियोजना तृतीय चरण (100 मैगावाट) की जोगिन्द्रनगर में है। इसमें एक-दो काम को छोड़ करके बाकी सारे काम पूरे हो चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय ने एक कंकरीट लाईनिंग का लगभग 40 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है उसका बाकी कार्य 60 प्रतिशत रह गया, उसमें क्या दिक्कत है और कब तक पूरा हो जाएगा? बाकी लगभग 95-96 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है इसलिए कब तक यह परियोजना जैनरेशन शुरू कर देगी?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, कंन्करीट लाईनिंग का कार्य जो बाकी रहता है वह दिसम्बर, 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा and the project is anticipated to be commissioned by March, 2016.

Concluded.

10/1110/04.2015.जेके/जेटी/3

प्रश्न संख्याः2137

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वहां पर टोटल 34 धर्मशालाएं बनी हुई हैं। उनमें से 10 ट्रस्ट हैं जिनको परमिशन दी गई है और 24 निजी सम्पत्तियां हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

10.04.2015/1115/SS-JT/1

प्रश्न संख्याः 2137 क्रमागत

श्री कुलदीप कुमार क्रमागतः
मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 24 निजी सम्पत्तियां हैं वे कहीं बेनामी तो नहीं हैं? उनमें धारा-118 की वॉयलेशन तो नहीं है? क्योंकि ऐसा लगता है कि वहां पर सारा पंजाब ही बस गया है। कोई लुधियाना की धर्मशाला, कोई फगवाड़ा, अमृतसर या जालन्धर की धर्मशाला है। ऐसे बोर्ड लगे हैं। 34 में से 24 आपने बोला है कि निजी सम्पत्तियां हैं, क्या यहां धारा-118 की वॉयलेशन तो नहीं हुई हैं?

दूसरा, जो ये धर्मशालाएं बनी हैं इनमें हर तरह की फैसिलिटी है। वे एयर कंडीशंड हैं। यहां होटल टाइप फैसिलिटी है और होटल की तरह वे यात्रियों से चार्जिज़ भी लेते हैं कहीं यहां पर टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही है? यह मैं जानना चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न आया तो हमने इसकी तह तक जाने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि जो ये 24 धर्मशालाएं निजी भू-स्वामियों की हैं, उसमें कृषि प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती है, जमीन पर कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। लेकिन जो 24 धर्मशालाएं हैं जब मैंने उनके नाम देखे तो

कुछ लुधियाना का है, कुछ कहीं का है, कुछ तलवंडी के नाम पर है, इस बारे में हमने ज़िलाधीश ऊना को सख्त हिदायत दी है कि इनकी पूरी वैरिफिकेशन करें। अगर कहीं बेनामी है या धारा-118 का उल्लंघन हुआ होगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यह बात भी ठीक है कि कुछ धर्मशालाएं मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी देखी हैं वे थ्री स्टार होटल के मुकाबले की बनी हैं। उनमें एयर कंडीशनर्ज़ लगे हैं और उनमें पैसे भी लिये जा रहे हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन होटल की नहीं है उस बारे में भी हम पूरी छानबीन करेंगे। टूरिज्म और एक्साइज़ एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट को कहेंगे कि इसकी पूरी छानबीन करें। अगर ये होटल हैं तो होटल के मुताबिक उनसे लग्जरी टैक्स भी लिया जाए।

प्रश्न समाप्त

10.04.2015/1115/SS-JT/2

प्रश्न संख्याः 2138

अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री गोविन्द्र सिंह ठाकुर, अनुपस्थित।

10.04.2015/1115/SS-JT/3

प्रश्न संख्याः 2139

श्री अजय महाजनः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि नूरपुर में एक पार्किंग की प्रॅपोजल है और साथ में जगह भी चयनित की गई है। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कब तक इसका काम शुरू होगा?
आबकारी एवं कराधान मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी (शहरी विकास मंत्री) ने कहा कि यह सरकार के ध्यान में है। वहां का प्रोसैस जारी है और जब कांगड़ा टूअर पर माननीय मुख्य मंत्री जी गए थे तो इनकी भी अनाऊंसमैंट है। जितनी जल्दी हो सके इस पार्किंग का काम आरम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न समाप्त

10.04.2015/1115/SS-JT/4

प्रश्न संख्याः 2140

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभापटल पर रखी है उसके अनुसार 14-2013 में 40 शिविर लगाये गए। 2014-15 में 29 शिविर लगाए गए और "ख" भाग के उत्तर में दिया कि जो शिविर झण्डुता में लगाया गया था उसमें हैल्थ मिशन के मनोनीत आदमी ने अध्यक्षता की है।

जारी श्रीमती के0एस0

10/1120/04.2015.केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2060 जारी---

श्री रिखी राम कौंडल जारी---
मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो 69 शिविर लगाए गए, इन पर कितना खर्चा हुआ? दूसरे, क्या जिस चुनाव क्षेत्र में कृषि के शिविर लगाए जाते हैं वहां के चुने हुए विधायक भी किसान है, क्या विभाग उनको भी शिविरों में आने का निमंत्रण देता है? अगर नहीं, तो उसके कारण बताए जाए और भविष्य के लिए जब भी किसी विधायक के चुनाव क्षेत्र में चाहे कोई भी शिविर लगे, क्या उसमें स्थानीय विधायक को उसकी सूचना दी जाएगी ? तीसरा, 9-9, 10-10 लाख की बिल्डिंगों के पूर्व विधायक उद्घाटन कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो नई प्रथा शुरू हुई है, क्या इस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगें? अगर वहां पर विपक्ष का विधायक है और वह उद्घाटन नहीं कर सकता है तो या तो जिलाधीश महोदय करें, मंत्री परमिशन दें तब उद्घाटन हो सकता है । जो भी उठता है, वही उद्घाटन कर रहा है, क्या इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी रोक लगाएंगें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय कौंडल जी ने जो आज बात मेरे ध्यान में लाई है, इसके बारे में हम कोई नीति निर्धारित करेंगें।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने तो उद्घाटनों के बारे में उत्तर दे दिया लेकिन मैंने कृषि मंत्री महोदय से शिविरों के खर्च के बारे में भी पूछा था, क्या ये उसके बारे में बताने की कृपा करेंगें?

कृषि मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आज मैंने नया सिस्टम देखा है कि एक ही समय में मुख्य मंत्री जी से भी और मंत्री से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो इन शिविरों के ऊपर खर्चा आया है वह 3 लाख 53 हजार रुपये हैं।

प्रश्न समाप्त

10/1120/04.2015.केएस/एजी/2

प्रश्न संख्याः 2141

अध्यक्षः श्री गोविन्द राम शर्मा (अनुपस्थिति)

10/1120/04.2015.केएस/एजी/3

प्रश्न संख्याः 2141

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक ब्यूरोक्रेटिक विस्तृत जवाब सभा पटल पर रखा है मगर मंत्री जी पूरी तरह से अवगत हैं क्योंकि ये उस वक्त खुद ही अर्बन डवैल्पमैंट मिनिस्टर भी थे और अध्यक्ष जी, रेवन्यू मिनिस्टर आप थे । डलहौज़ी शहर जो है इसकी situation of leases is different from the rest of the State of Himachal Pradesh. अध्यक्ष महोदय, यहां पर तीन तरह की लीज़ हैं। एक जो ब्रिटिश टाइम पर हुई, एक जो एकदम स्वतंत्रता के बाद हुई और एक जो कि उसके बाद जो कमर्शिलयल लीज़ रूल्ज़ के तहत हुई । डलहौजी क्षेत्र के बारे में मुख्य मंत्री महोदय भी अच्छी तरह से अवगत हैं, जब भी ये डलहौजी जाते हैं, लोग इनसे मिलते हैं। यह जो ब्रिटिश टाइम की लीजिज़ हैं ये 100 साल के लगभग इन लीजिज़ को एग्ज़ीक्यूट हुए हो गया है और अगर ये जो लीज़ रूल्ज़ अभी के हैं, मार्किट रेट पहले 18 परसेंट था अब शायद 10 परसेंट लगाएंगें तो करोड़ों की प्रॉपटीज़ हैं, उसकी लीज़ वैल्यू एक-एक प्रॉपर्टी की एक-एक करोड़ एक साल की बनेगी। तो क्या यह जस्टिफाईड है? मैं मंत्री

महोदय से निवेदन करूंगी कि ये पहले भी जब इस महकमें के मंत्री थे, इन्होंने केबिनैट के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। क्या ये जिला स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी अधिकारियों को आदेश देंगें क्योंकि जिला स्तर से आपको वस्तुस्थिति आएगी और प्रदेश स्तर पर आपको फैसला लेना है? तो क्या आप कमेटी सैटअप करेंगें जो कि डलहौली की पीक्यूलीअर सिचुएशन को देखते हुए वहां के लिए कोई अलग से नियम बना करके वन टाईम सैटलमैंट करें या उनको ऑनरशिप राईट दे दें या वहां की लीजिज़ किस हिसाब से रीन्यू होनी चाहिए, बिटिश टाईम की जो लीजिज़ हैं, प्राईवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ है, इसके बारे में क्या आप कुछ फैसला लेंगें?

Health & Family Welfare Minister: Sir, the Hon'ble Member is right that these leases were executed during British time. These leases were executed in 1931 to 1945 and rules framed under Punjab Municipal Act,

10/1120/04.2015.केएस/एजी/4

1911 for residential purposes etc. The agreement to this effect was executed between the Secretary, Municipal Committee on behalf of the Punjab Government and the lessees. Of course, these leases can be renewed after thirty years and the maximum period prescribed in that agreement is for 90 years. In 1987 there was a decision of the Government to freeze that lease, but after 2000 it was decided that the Municipal Committee should also review and extend the lease between the Municipal Committee and the lessees. At that time we have decided to give them freehold because the people have constructed houses thereon. Where the Dalhousie town is located, she has rightly said that it is 10 per cent of the market value according to 1930 Lease Rules but State Government has power in those rules to reduce the lease the money in a peculiar circumstance/special case. So, Virbhadraji Government is committed to provide relief to such persons. Of course, I will ask the Additional Chief Secretary (Revenue) and Additional Chief Secretary (Urban Development) to sit together and find out the modalities how we can give benefit to those people.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

10.4.2015/1125/ag/av/1

प्रश्न संख्या : 2060 -------- क्रमागत

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं जैसे इन्होंने कहा कि he will do this. But I just want to bring it on record कि म्युनिसिपल कमेटी, डलहौजी की लैण्ड जो है it was on lease with the British from the Raja of Chamba. जब उसके सौ साल पूरे हो गये then the Raja of Chamba gave it to the State of Punjab and the beneficiary trustee is Municipal Committee but the land is in the name of Revenue Department. So, as a matter of fact, the quantum of lease money is to be decided only by the Revenue Department and not by the Municipal Committee. They are simply the beneficiary trustee. It is very good that you will take this matter with Secretary (Urban Development) also, but I would request you to please involve the Deputy Commissioner of Chamba and the SDM of Dalhousie while formulating a policy for Dalhousie.

Health & Family Welfare Minister: Speaker, Sir, as I have just said both the Revenue Department and the Urban Development will sit together and sort out this issue within a period of 6 months. Recently, we have decided to give ownership right to Chakotadar. Similarly, we have given benefit to the oustees of Bhakra Dam. That was also lease for 99 years and we have given ownership rights to them. So, similarly on those lines, we can decide and think of giving them benefit. So far lease money is concerned State Government has the power to reduce that amount.

Concluded

10.4.2015/1125/ag/av/2

प्रश्न संख्या 2140

अध्यक्ष : श्री रिखी राम कौंडल। (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 2142

श्री यादविन्द्र गोमा : अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण उपमण्डल बालकरुपी जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पर सब-डिविजनवाइज जो रिक्त पदों की संख्या दर्शाई गई है मैं इनके बारे में मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन पदों को कब तक भरा जायेगा ताकि वहां पर लोक निर्माण विभाग के कार्यकलाप सुचारु रूप से चलें। दूसरा, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि यह डिविजन ज्वालामुखी, जयसिंहपुर, सुलह; इन तीन चुनाव क्षेत्रों का समावेश करके बना है। इसमें अधिकतर जयसिंहपुर -------

श्री बी जे नेगी द्वारा जारी

10.04.2015/1130/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः 2142.. जारी...

श्री यादविन्द्र गोमा.. जारी.....
और इसमें अधिकतर जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है। इसका आधा हिस्सा पालमपुर डिवीजन में भी है और जिसका सब-डिवीजन भवारना और थूरल में है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए क्योंकि पालमपुर डिवीजन में भी मेरे चुनाव क्षेत्र का कुछ हिस्सा आता है, क्या इन सभी को संवर्द्धन करके निकट भविष्य में बालकरूपी डिवीजन में शिफ्ट किया जाएगा? जब माननीय मुख्य मंत्री जी जयसिंहपुर विधान सभा के दौरे पर आए थे तो उस समय वहां की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए इसके लिए इन्होंने कहा था। क्योंकि ज्वालामुखी के खुंडियां सब-डिवीजन भी दूर पड़ता है, सुलह क्षेत्र के लोगों को भी दूर पड़ता है । तो क्या आप वहां की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए कहीं सेन्टर जगह पर इसको स्थानान्तरित करने का विचार रखते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था, वो बालकरूपी जो डिवीजन है और उसके अन्दर जो सब-डिवीजन्ज़ हैं उनमें जो रिक्त स्थान हैं उनको भरने के बारे में था। इसके बारे में, मैंने विस्तृत जानकारी दे दी है। एक एस.डी.ओ. नहीं

है और बाकी बेलदार,सेवादार,मेट, बढ़ई और मिस्त्री इत्यादि की रिक्तियां हैं और उन सब को भरने का प्रयास किया जाएगा।

जहां तक बालकरूपी डिवीजन में कुछ और इलाकों को शामिल करने की बात है या उसके हेड-क्वार्टर को बदलने की बात है अभी यह सरकार के ध्यान में नही आई है, आपने यह बात उठायी है हम इसके बारे में सोचेंगे।

10.04.2015/1130/negi/jt/2

प्रश्न संख्याः 2143.
श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष महोदय ,जो सूचना सभापटल पर रखी गई है उसके "ख" भाग में, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो कार्य यहां पर करवाये गए हैं उसमें ज्यादातर कार्य पंचायत के प्रधानों व उप-प्रधानों द्वारा करवाये गए हैं। लेकिन उत्तर में लिखा है कि ठेकेदारों ने भाग लिया । तो क्या पंचायत के प्रधान व उप-प्रधान ठेकेदार हैं? दूसरा, मैं यह पूछना चाहूंगा कि इनके आगे न तो इनका पंजीकरण संख्या है और न ही ठेकेदारों की श्रेणी लिखी गई है। साथ ही, मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि एक ही व्यक्ति को एक समय में कितने काम दिए जा सकते हैं? क्योंकि इसमें एक-एक व्यक्ति को एक ही समय में, अगर आप देखें सीरियल नम्बर, 79,81,84,85,92,95,96,108,109 व 120एक ही व्यक्ति को 10 काम दिए गए हैं। इसी प्रकार से एक दूसरे व्यक्ति को 8 काम दिए गए हैं। इसके लिए क्या प्रक्रिया है, एक समय में कितने काम दिए जा सकते हैं ? जो ठेकेदारों की संख्या है, काम के लिए जो ठेकेदार आए हैं उनकी संख्या इसमें 3-3 दिखाई गई है। क्या इसमें किसी घोटाले की आशंका तो नही है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि सदस्य महोदय ने शंका जाहिर की है कि इसमें कोई ऐसी घोटाले वाली बात तो नही है, ऐसी कोई बात नही है। क्योंकि पंचायत के माध्यम से और जो पी.डब्ल्यू.डी. के रजिस्टर्ड ठेकेदार होते हैं उनके माध्यम से ये काम होते हैं। जहां तक आपने बोला है कि एक काम, दो काम या दस काम किसी को दिए और किसी को ज्यादा, किसी को कम काम दिए हैं, इसमें कोई बन्धन वाली बात

नही है। जो जितना काम कर सकता है उसको अलॉउड है, वे काम कर सकते हैं इसमें बन्धन वाली कोई बात नही है।

10.04.2015/1130/negi/jt/3

श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, अगर ये काम ठेकेदारों द्वारा करवाये गए हैं तो न तो वे किस विभाग में पंजीकृत है यह लिखा गया है और न ही उनकी श्रेणी दी गई है। अगर ये काम पंचायत के प्रधानों व उप-प्रधानों ने करवाये हैं तो एक पंचायत का प्रधान किसी दूसरी पंचायत में कैसे काम करवा सकता है?

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

10/1135/04.2015.यूके/जेटी/1

प्रश्न संख्या---2143ःजारी----

श्री सुरेश कुमार---जारी----

ऐसे भी इसमें अगर देखें तो बहुत से प्रधान और उप-प्रधान ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी पंचायतों में काम किया है । ऐसा तो नहीं हो सकता कि वे दूसरी पंचायतो में काम करें और अगर वे ठेकेदार हैं, तो उनका पंजीकरण कहां हैं? कौन से विभाग मे है तथा उनकी श्रेणी क्या है यह बताया जाए?

वन मंत्रीः सर, ये PWD के "B" "D" क्लास के रजिस्टर्ड ठेकेदार है । अगर यह सूचना यहां नहीं दी गयी है तो आपको पूरी सूचना दी जाएगी । जहां तक काम की बात है, काम में किसी को बंधन नहीं है, कोई भी कर सकता है और एक पंचायत का प्रधान दूसरी पंचायत में नहीं कर सकता । वह प्रधान same पंचायत में करेगा ।

श्री बलदेव तोमर :माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दर्शाया है, जिला सिरमौर की 85 पंचायतों में मिड हिमालयन प्रेजेक्ट का काम हो रहा है और जिला सिरमौर में कुल 226 पंचायतें हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं

कि इसमें पंचायत शामिल करने का क्या क्राईटेरिया है तथा बाकी पंचायतों को इसमें कब तक शामिल किया जायेगा ? दूसरे, 85 में 26 पंचायतें ऐसी हैं जो इस परियोजना का काम खुद करवाती हैं । 26 पंचायतों में कोई कार्य नहीं हुआ है, दो साल में एक भी पैसा नहीं लगा है । दूसरी बारी में जो आपने पंचायतों को काम दिए है उसमें से भी 85 पंचायतों में से 22 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें कोई धनराशि नहीं लगी है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह पिक एंड चूज़ बेस पर पैसा दिया जाता है ? जहां पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रधान हैं वहां पर कोई पैसा नहीं जा रहा है, इसके क्या कारण हैं ?

वन मंत्रीः अध्यक्ष जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रधान की बात की है मैं कहना चाहूंगा कि आपने यह दो सालों की सूचना मांगी है । लेकिन यह प्रोजेक्ट 2005 से लेकर 2016 तक है । 2005 में शुरू हुआ था तो कुछ पंचायतें जिनको आप समझ रहे हैं कि छूट गयी हैं, उन पंचायतों में काम हो चुके हैं । सर्वे के मुताबिक जो

10/1135/04.2015.यूके/जेटी/2

पंचायतें उसमें आनी थीं, वही हो सकती हैं, दूसरी पंचायतें उसमें शामिल नहीं हो सकती । जहां तक आपने बोला कि फलानी पंचायत में काम नहीं हुआ, यह धार-टिकरी पंचायत है । इस पंचायत में मैक्सिमम काम हुआ है, 49,92,742 की धनराशि का काम इसमें हुआ है और अब यह पंचायत इस परियोजना से निकाल दी गयी है । इसी तरह से और भी कई पंचायतें हैं, जिनमें काम हो चुका है तो वह निकाल दी गयी हैं । क्योंकि आपने सूचना दो साल की मांगी है तो यह दो साल की सूचना में नहीं आएगा । 2005में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था । उस वक्त जो पंचायतें उसमें शामिल हुई थीं, उनमें से जिनमें काम सम्पूर्ण हो गया है, वह तो निकाल दी गयी हैं ।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक है, एक ही विधान सभा क्षेत्र का है । एक तो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि एक प्रधान जिसकी पंचायत में काम बन्द हो गया वह सामान्य तौर पर दूसरे पंचायत में काम कर सकता है ,तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह दूसरी पंचायत में काम कैसे कर सकता है ? दूसरे क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में आपने, क्योंकि यह मिड हिमालयन प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी में चलने वाला है । यह प्रोजेक्ट किसी विधान सभा क्षेत्र के बीच के

विधान सभा क्षेत्र को छोड़ कर या उस विधान सभा क्षेत्र के बीच का गैप डाल कर यह किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकता । क्या यह सही है कि विभाग के कहने पर या किसी और की डायरैक्शन पर यह एक क्षेत्र से बड़ी लम्बी छलांग मार कर दूसरे क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, यह कंटिन्यूटी में चलता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो उसकी जांच करवा कर उसको निरस्त करेंगे ?

वन मंत्रीः जहां तक रवि जी, बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि 2005 जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक जो पंचायतें उसमें शामिल की गयीं थीं, जैसे दो जिले लाहौल और स्पिति ,ये ट्राईबल जिले छोड़ दिए गए हैं । लेकिन इसमें बाकी जिले शामिल हैं और पंचायत सर्वे के मुताबिक आयी हुई हैं, उसी के मुताबिक काम हो रहा है । छलांग नहीं मार सकते, छलांग का कोई मतलब नहीं है ।

10/1135/04.2015.यूके/जेटी/3

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यदि छलांग मारी होगी, मेरा बड़ा स्पेसिसफिक सा प्रश्न है कि जैसे यहां से एक क्षेत्र ले लिया और बीच के विधान सभा के क्षेत्र छोड़ दिए और वहां से छलांग मार कर यह प्रोजेक्ट किसी दूसरे क्षेत्र में

जा कर पहुंच गया । तो क्या उसकी जांच करवा कर उसको निरस्त करेंगे? जो नहीं होना चाहिए था । इसकी गाईड लाईन की किताब बनी हुई है मैने वह सारी गाईड लाईन्ज़ पढ़ी हुई हैं । उसमें आपने ऐसा कुछ कर दिया है । तो क्या उसको निरस्त करेंगे?

वन मंत्रीः अध्यक्ष जी, सारा काम गाईड लाईन के मुताबिक ही हुआ है । अगर कोई जैसे आपने शंका जाहिर की है । किसी ने जो भी किया है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम छानबीन करेंगे ।

एसएलएस द्वारा जारी----

10.04.2015/1140/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 2143... जारी
वन मंत्री...जारी
अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसकी छानबीन करेंगे।
डॉ० राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सिरमौर जिला का उत्तर दिया है। सिरमौर जिला में नाहन विधान सभा क्षेत्र की कुल एक पंचायत इसमें शामिल की है जिसका नाम नौणी है। उसमें जो उत्तर है, वह जीरो जीरो जीरो जीरो जीरो और उसके बाद भी जीरो है। उसका टोटल भी जीरो जीरो है। यानी ,माननीय मंत्री जी, नाहन विधान सभा क्षेत्र कोइस लाभ से दो वर्षों में वंचित रखा गया है। इसकी क्या वजह है? क्या आप इसकी भरपाई इस वित्त वर्ष में करके नाहन विधान सभा क्षेत्र की पंचायतों को इसमें इनक्लूड करके वहां पर इस कार्य को करवाने का आश्वासन देंगे?
वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बिन्दल साहब ने शंका जाहिर की है कि जीरो जीरो लिखा गया है। मैंने पहले ही फरमाया है कि यह प्रोजैक्ट वर्ष 2005 से लेकर 2016 तक कंटिन्यूटी में चला हुआ है। वर्ष 2005, 2006और 2007में जिन पंचायतों में जो काम हुआ है, उन पंचायतों को आगे के लिए निकाल दिया गया है। जो आपने शंका जाहिर की है, यह पंचायतें शायद उस दायरे से निकल गई हैं ,इसलिए इनमें काम नहीं हुआ है।
डॉ० राजीव बिन्दल : आपने केवल एक पंचायत नाहन विधान सभा क्षेत्र की इसमें इनक्लूड की है। क्या जो पंचायतें रह गई हैं, उनको इस साल इनक्लूड करेंगे? आपने कहा कि कुछ पंचायतें पहले आ गईं। जो आ गईं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो रह गई हैं क्या उनको इस साल इनक्लूड करेंगे?

वन मंत्री : अब तो यह प्रोजैक्ट अंतिम स्टेज पर है। लेकिन इस प्रोजैक्ट में जितना पैसा जिन पंचायतों के लिए आया था यह उन्हीं पंचायतों में खर्च होना है। अब कोई

10.04.2015/1140/sls-ag-2

नई पंचायत शामिल नहीं हो सकती। अब यह प्रोजैक्ट अपने एंडिंग प्वायंट पर है।
...(व्यवधान)...
श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जवाब तो दिया कि दूसरी पंचायत का प्रधान वहां पर काम

नहीं ले सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे सभी ठेकेदार के रूप में रजिस्टर्ड हो गए हैं और आपस में ही काम की ठेकेदारी का आदान-प्रदान करते हों? अगर ऐसा है तो क्या किसी भी पंचायत के प्रधान को इस प्रकार के काम लेने का अधिकार है?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा हुआ होगा तो उसकी छानबीन करेंगे।

अध्यक्ष : मंत्री जी, be very sure कि एक प्रधान दूसरी पंचायत में काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। मेरे ख़याल में कर सकता है।

वन मंत्रीः वह ठेकेदार हो सकता है और ठेकेदार के रूप में तो काम कर सकता है but not as a Pradhan.

प्रश्न समाप्त

10.04.2015/1140/sls-ag-3

प्रश्न संख्या : 2144

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके पार्ट 'ए' का जवाब तो सही है। लेकिन 'बी' और 'सी' का जवाब गलत है तथा 'डी' का जवाब दिया ही नहीं गया है। जो 'बी' का जवाब दिया है, मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं। As per the provisions of EIA notification 2006, the Environment Impact Assessment Clearance is not applicable to the Stone Crushers. मेरा प्रश्न था कि जो स्टोन क्रशर वहां पर था वह EIA की वजह से बंद है। यह स्टोन क्रशर EIA न होने की वजह से बंद है। क्योंकि स्टोन क्रशर माइनिंग लीज पर चलेगा, माइनिंग लीज जब नहीं है तो स्टोन क्रशर बंद हो गया है जिसके कारण वहां पर स्केयरसिटी है। "c" का जो जवाब दिया है - Yes, there was an increase in the prices of mineral for a shorter span of time but the prices are now stable. यह भी गलत है क्योंकि प्राइसिज अभी भी स्टेबल नहीं हैं। मार्किट में मैटिरियल की शॉर्टेज है और शॉर्टेज होने की वजह से ..

जारी ..श्री गर्ग जी

प्रश्न सं. ----2144क्रमागत

श्री कृष्ण लाल ठाकुर-----क्रमागत

मैटीरियल की शॉर्टेज है और शॉर्टेज होने की वजह से प्राइसेज हायर साइड में स्टिल हैं और प्रश्न के 'डी' भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ई.आई.ए. स्टेट लेवल की कमेटी है उसको जल्दी ऐक्सपीडाइट करें और जो सेन्ट्रल लेवल की है ,जो भारत सरकार में मामले लंबित हैं या जो केसिज फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लीयरैन्स के लिए पैण्डिंग हैं उनको जल्दी-से-जल्दी ऐक्सपीडाइट करवाएं ताकि ई.आई.ए. हो और उसके बाद स्टोन क्रशर्ज चलें और मैटीरियल की स्केयरसिटी खत्म हो और लोगों को अपने कामों व सारे कामों के लिए मैटीरियल मिल सके। वह जेनयून रेट्स पर भी मिले। मैं चाहूंगा कि इसके लिए मंत्री जी आश्वासन दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कहा कि जवाब ठीक नहीं है ,मैं इनको बताना चाहूंगा कि ई.आई.ए. स्टोन क्रशर पर लागू नहीं होता है ,यह लीज होल्डर पर लागू होता है। स्टोन क्रशर तभी लगता है जब कोई लीज लेता है जैसे मैंने यहां से माइनिंग करनी है उसके बाद उसका स्टोन क्रशर लगता है। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूंगा कि ई.आई.ए. लीज होल्डर पर लागू होती है न कि स्टोन क्रशर पर। इसलिए यह जवाब ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि पीछे कोर्ट की वजह से, ग्रीन ट्रिब्युनल की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से हिमाचल प्रदेश में भी माइन्ज एण्ड मिनरल्ज की बहुत शॉर्टेज हुई है। अगर आप देखें, तो वर्ष 2012-13 में हिमाचल प्रदेश में 83,74,267 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। चाहे वह बजरी थी या रेत था या चाहे दूसरे मिनरल्ज थे। उसमें एन.टी.पी.सी. कोल डैम ऐक्सक्लूड किया गया है उसमें 31,90 000,मीट्रिक टन रेत और बजरी लगी है। अब वर्ष 2013-14 में आकर यह कम होकर 49, 08,865मीट्रिक टन रह गया और वर्ष 2014-15 में 15फरवरी तक यह 50,30,365मीट्रिक टन रहा है। यह ठीक है कि जो इंपैक्ट है ,जो ई.आई.ए. कमेटी मार्च, 2014 तक थी उसके बाद सरकार ने मार्च, 2014 को ई.आई.ए. कमेटी बना करके केन्द्र सरकार की अप्रूवल के

लिए Ministry of Forest & Environment को भेजी ,लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया in spite of repeated reminders. व्यक्तिगत तौर माननीय मुख्य मंत्री जी मिले और व्यक्तिगत तौर पर उद्योग मंत्री भी दिल्ली में वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से मिले। उसके बाद 1 दिसम्बर, 2014 को

10/04/2015/1145/RG/AG/2

कमेटी का गठन किया गया। इसलिए यह नौ महीने के ई.आई.ए. के काफी केस पाइल अप हो गए। जैसा आपने कहा, तो अब ई.आई.ए. कमेटी का गठन हो चुका है और अब केसिज को डिसाइड कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो ई.आई.ए. के केसिज़ पैण्डिंग हैं उनको जल्दी-से-जल्दी क्लीयर कर दिया जाए।---(व्यवधान)---नहीं-नहीं, इसके बंद होने से सरकार को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है और State Government is very conscious about it. हम चाहते हैं कि जल्दी-से-जल्दी लोगों की लीज और ई.आई.ए. के केसिज अप्रूव हो जाएं ताकि वे अपना मैटीरियल निकालना शुरू करें और सरकार को रॉयल्टी देना शुरू करें। इसलिए हमारी यह कोशिश है और जहां तक आपने कहा है, तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि यह स्टोन क्रशर पर नहीं लागू नहीं होता ,यह लीज पर लागू होता है, रिवर बेड्ज पर लागू होता है ,माइनिंग पर लागू होता है।---(व्यवधान)---मैंने कहा कि सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को बचाने के लिए हम खुद चाहते हैं कि जल्दी-से-जल्दी लीज हो और जल्दी-से-जल्दी स्टोन क्रशर्ज चलें और जल्दी-से-जल्दी रेत और बजरी बने ताकि कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़े।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि जब से ये लीज बंद हुई हैं, बंद पड़ी लीज़ों पर हमारी सिरसा नदी पर लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि ये सिरसा नदी के कब्जे जल्दी हटाए जाएंगे?

एम.एस. द्वारा मंत्री जी शुरू

10/04/2015/1150/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः 2144क्रमागत----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, माइनिंग डिपार्टमैंट हर संभव कोशिश कर रहा है कि जहां-जहां पर रिवर बैड्ज में अवैध खनन हो रहा है या दूसरी जगह हो रहा है, उस पर पूरी तरह नज़र रखी जाए। हमारी सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जल्दी-से-जल्दी EIA कमेटी क्लीयर करे और माइनिंग ऑप्रेशन शुरू हो। लोगों के क्रशर चले, ज्यादा-से-ज्यादा बजरी मिले और सरकार को भी उसका फायदा मिले। जहां तक अवैध कब्जे की बात है, वह रेवेन्यु विभाग से संबंधित है और मैं विभाग को कहूंगा कि जहां-जहां रिवर बैड्ज पर अवैध कब्जे होंगे, उन कब्जों को बेदखल करें।

प्रश्न समाप्त

10/04/2015/1150/MS/JT/2

प्रश्न संख्याः 2145

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए सरकार ने पिछले दो सालों में कितनी नौकरियां दीं? दूसरे, मैं विकलांग सैनिकों की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का उनको वित्तीय सहायता देने के लिए धन्यवाद भी करूंगा। परन्तु क्या सरकार इन्फ्लेमेशन को ध्यान में रखते हुए इस अनुदान की राशि को बढ़ाएंगी क्योंकि विकलांगता पूरे जीवन रहती है? इसके अलावा, सरकारी सेवाओं में 15 प्रतिशत का आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए किया है। उनको पहले अनुबंध पर रखा जाता है और जब उनकी उम्र 51-52 साल की हो जाती है तो फिर उनको रेगुलर किया जाता है। उनकी रेगुलर सर्विस 5-6 साल होती है, जिससे उनको कोई लाभ नहीं मिलता। क्या सरकार उनकी पूर्व राष्ट्रीय सर्विस को ध्यान में रखते हुए ऐसा सोचेगी कि उनको अनुबंध के स्थान पर रेगुलर सर्विस दी जाए? इसके अतिरिक्त डी0पी0 की प्रमोशन्ज के भी बहुत से ऐसे केसिज हैं जो ओवरलुक हो गए हैं। उनको प्रिंसिपल बनना था लेकिन उनके जूनियर प्रिंसिपल बन गए। हालांकि एक्स-सर्विसमैन ही बने हैं लेकिन कुछ लोग बीच में वंचित रह गए। उसके बारे में भी क्या सरकार सोचेगी कि उनको उनका हक मिले?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में बहुत विस्तार से इसके बारे में सूचना दी हुई है और सरकार इसके बारे में बहुत गंभीर है कि हमारे एक्स सर्विसमैन के साथ न्याय हो। खासकर जो देश की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, उनको न केवल सम्मान मिले बल्कि उनके परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलती रहे। हर कैटेगरी के एक्स-सर्विसमैन को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है और शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान है। जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं उनके प्रति सरकार बहुत गंभीर है और चाहती है कि उनके आश्रितों को नौकरियां दी जाएं। अगर उनका वारिस कोई नाबालिग है तो जब वह बालिग हो जाएगा/जाएगी ,तब भी वे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग जख्मी हुए हैं उनके

10/04/2015/1150/MS/JT/3

उपचार के लिए सरकार पैसा दे रही है। यदि कोई गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं और वे किसी मिलिट्री अस्पताल में या किसी अन्य अस्पताल में भर्ती हुए हैं ,उनका पूरा खर्चा सरकार दे रही है।

श्री इन्द्र सिंह :अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो एक्स-सर्विसमैन को अनुबंध पर रखा जाता है क्या उनको रेगुलर सर्विस पर रखने की कृपा करेंगे क्योंकि उनको अनुबंध से कोई लाभ नहीं मिलता है। रेगुलर होने के बाद उनकी 4-5 साल की सर्विस शेष रहती है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो लोग देश के लिए शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को नौकरी में लिया जाएगा। उनको परमानैंट जॉब देने के बारे में सरकार विचार करेगी।

अगला प्रश्न श्री जे0के0 द्वारा----

10/1155/04.2015.जेके/जेटी/1

प्रश्न संख्याः2146

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जैसे कि इन्होंने अपने ज़वाब में कहा है कि ग्राम पंचायत जाडला में जो बरड़ कॉलोनी है उसके लिए

कोई प्रावधान नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसके लिए पूर्व में सरकारी जगह उपलब्ध करवाई थी, लेकिन सोलन की तर्ज़ पर काफी लम्बे समय से पूर्व विधायक, श्री लज्जा राम जी जो कि मेरे पूज्य पिता जी हैं, उन्होंने भी इसकी मांग की थी। माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बरड़ कॉलोनी के ऊपर विशेष ध्यान दे करके जैसे इनको जगह उपलब्ध करवाई गई है अन्य आवास योजनाओं की तरह इन्हें भी आवासीय कॉलोनी देने के लिए बजट का प्रावधान करने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कई जिलों में जो बरड़ जाति है उनकी कॉलोनी है। उनके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है। उन्होंने कहीं पर भी सरकारी भूमि के ऊपर काफी अर्से से अपनी झोंपड़ियां बना रखी हैं । हम इसके बारे में गम्भीर है and we want to regularize their possessions and settle them permanently.

डा0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बरड़ जाति के लिए आश्वस्त किया है। उन्हीं के साथ मिलती एक बंगाला जाति है जो कि इसी प्रकार के घूमंतु हैं कृपया उनके बारे में भी आश्वस्त करने की कृपा करें।
मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, बरड और बंगाला दोनों जातियों के बारे में सरकार गम्भीर है।

प्रश्न समाप्त।

10/1155/04.2015.जेके/जेटी/2

प्रश्न संख्याः 2147

श्री विक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मंत्री महोदय ने सभा पटल पर रखी है इसमें जितनी भी योजनाएं डाली गई थी उसको लिखा है कि योजना की डी.पी.आर. बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है या उसमें लिखा गया है कि योजना अव्यवहारिक पाई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि डिपार्टमैंट वहां पर कब गए और कब उन्होंने लोगों से पूछा कि आप लोगों को क्या समस्या है? ये चीज मैं, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। लेकिन जहां पर लोगों को पीने के पानी की और सिंचाई की जरूरत है। वहां पर मैंने काम डाले थे लेकिन उनकी भी विभाग ने आज तक

डी.पी.आर. नहीं बनाई है। मैं, माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि विभाग को आदेश दें कि उनकी जल्दी से जल्दी डी.पी.आर. बनें।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि आपके जितने भी काम थे और जिनके लिए आपने डी.पी.आर. रिक्वायर्ड की थी वे सब की सब डी.पी.आर. कम्पलीट हो जाएगी। आपकी जो डी.पी.आर. वर्ष 2013 की हैं उनको भी कम्पलीट कर दिया जाएगा, यानि सारे के सारे कम्पलीट कर दी जाएगी। आप इसके बारे में चिन्ता मत करें। विस्तृत सूचना मैं आपको दे दूंगी। आपने जो पानी की बात कही उसकी व्यवस्था भी हम सही कर रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

प्रश्नकाल समाप्त।

10/**1155/04.2015.जेके/जेटी/3**

कागजात सभा पटल पर :

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।
मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-:

(i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेद वर्ष 2013-2014(वित्त लेखे, खण्ड-। एवं खण्ड-॥(, हिमाचल प्रदेश सरकार;

(ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (विनियोग लेखे), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014(राज्य के वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(iv) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014(राजस्व क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश सरकार;

(v) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-201 4आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), हिमाचल प्रदेश सरकार; और

(vi) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-201 4(सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ,(हिमाचल प्रदेश सरकार ।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

10.04.2015/1200/SS-AG/1

अध्यक्षः अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं-ः

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित);और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 ।

एवं

(i) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक परीक्षित लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक परीक्षित लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iv) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (विलम्ब के कारणों सहित);

10.04.2015/1200/SS-AG/2

(iv) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 20101-1 (विलम्ब के कारणों सहित);

(v) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 20101-1 (विलम्ब के कारणों सहित);

(vi) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987का

अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 20111-2 (विलम्ब के कारणों सहित);

(vii) कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987का अधिनियम 4) की धारा 45 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 20121-3 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(viii) बीज़ अधिनियम, 1966 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 20131-4 ।

10.04.2015/1200/SS-AG/3

अध्यक्षः अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2011-12 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

10.04.2015/1200/SS-AG/4

<u>वक्तव्य</u>

अध्यक्षः अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कुछ वक्तव्य देंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री जय राम ठाकुर द्वारा दिनांक 9.4.2015 को उचित मूल्य की दुकानों में नमक की उपलब्धता व गुणवत्ता बारे सवाल उठाया गया था।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि विशेष अनुदानित योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को दाल, तेल के साथ-साथ एक किलोग्राम नमक का पैकेट अप्रैल, 2007 से वितरित किया जा रहा है।

फरवरी, 2013 तक मासिक आधार पर निविदाएं आमंत्रित करते हुए नमक क्रय किया जाता रहा है। तदोपरान्त इस योजना के अन्तर्गत त्रैमासिक व छः मासिक आधार पर ग्लोबल ई-टैण्डर आमंत्रित करते हुए किया जा रहा है।

राशन कार्ड धारकों में नमक की उठाव आबंटन से कम होने तथा अत्यधिक सैम्पल फेल होने के फलस्वरूप मामला सरकार के ध्यान में आने के कारण प्रदेश सरकार ने दिनांक 27.5.2014 को निर्णय लिया कि प्रदेश के राशनकार्ड धारकों को नमक भारत सरकार के उपक्रम मैसर्ज हिन्दुस्तान सॉल्टस लि0, जयपुर से क्रय करके उपलब्ध करवाया जाए। इसके दृष्टिगत सम्बन्धित पार्टी को दिनांक 26.8.2014 को 50610 क्विंटल नमक निगम के विभिन्न थोक गोदामों में आपूर्ति करने हेतु आदेश जारी किया गया है। इस आपूर्ति आदेश के प्रति केवल 10665 क्विंटल नमक की आपूर्ति अभी तक की गई है। अभी तक इस आपूर्ति में से 15 सैम्पल निगम के विभिन्न गोदामों से विश्लेषण हेतु लिए गए हैं जोकि मानकों के अनुसार सही पाए गए हैं।

गत पांच वर्षों के दौरान लिए गए सैम्पलों का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

11-2010में 57 सैम्पल लिए गए, निर्धारित मानकों अनुसार 15 सैम्पल पाए गए। निर्धारित मानकों के अनुसार न पाए गए सैम्पलों की संख्या 42 थी। 12-2011में 29 सैम्पल लिये गए। 13 ठीक पाए गए और 16 सैम्पल ठीक नहीं पाए गए। 13-2012में माननीय अध्यक्ष जी जैसे मैंने कल सदन को अवगत करवाया था कि 71 सैम्पल

लिये गए। एक सैम्पल ठीक पाया गया और 70 सैम्पल खराब निकले। 2013-14 में 117 सैम्पल लिये गए। 106 ठीक निकले और 11 खराब निकले। 15-2014में 74 सैम्पल लिये गए और 74 ही निर्धारित मानकों के अनुसार पाए गए हैं।

हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लि0, जयपुर द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद नमक की पूर्ण आपूर्ति अभी तक सुनिश्चित न करने तथा नमक की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 19.01.2015 को प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि भविष्य में समुंद्री पानी से तैयार नमक अनुदानित योजना के अन्तर्गत राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाया जाए क्योंकि इस नमक की शुद्धता अधिक पाई जाती है। इसके उपरान्त हि0प्र0रा0ना0आ0 निगम द्वारा निविदा आमंत्रित करते हुए इसे अंतिम रूप देकर मैसर्ज श्रीकैम फूड प्रा0 लि0, गांधीधाम, गुजरात को अप्रैल माह के लिए 16909 क्विंटल नमक का आपूर्ति आदेश दिनांक 24.3.2015 को जारी किया गया है, जिसकी आपूर्ति आपेक्षित है। दूरभाष द्वारा मैसर्ज श्रीमैम फूड प्रा0 लि0, गांधीधाम, गुजरात से नवीनतम सूचना अनुसार नमक की पैकिंग का कार्य प्रगति पर है और 15 अप्रैल, 2015 तक हिमाचल प्रदेश में हि0प्र0रा0ना0आ0 निगम के थोक गोदामों में पहुंचना सम्भावित है।

इस सन्दर्भ में यह बताना उपयुक्त रहेगा कि प्रदेश में कई समाचार माध्यमों में नमक की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं जोकि तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निगम द्वारा वर्ष 2014-15 में उठाया गया हर सैम्पल गुणवत्ता की दृष्टि से अभी तक सही पाया गया है। फिर भी इस समाचार पर संज्ञान लेते हुए निगम द्वारा मण्डी जिला के थोक गोदाम थुनाग से नमक के नमूने विश्लेषण हेतु मंगवा लिये गये हैं, जिसकी रिपोर्ट शीर्घ ही प्राप्त हो जाएगी और तद्नुसार निविदा की शर्तों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, धन्यवाद।

अध्यक्षः अब ठाकुर कौल सिंह जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी वक्तव्य देना चाहते हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

10/1205/04.2015.केएस/एजी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को हर्ष के साथ सूचित करना चाहता हूं कि पीछे हमारी जो केन्द्रीय टीम यहां आई थी उसमें श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी शामिल थे, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि जो हमारे तीन मैडिकल कॉलेज भारत सरकार ने मंजूर किए हैं उनके लिए कम से कम 31 मार्च से पहले किश्त

तो जारी कर दें तो मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को पहली किश्त के रूप में मैडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए 12 करोड़ 53 लाख रुपए इन तीन मैडिकल कॉलेजों की establishment के लिए जारी किए हैं जिसका मैं हिमाचल सरकार की तरफ से केन्द्रीय सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि जब-जब भी केन्द्र से सहायता मिलेगी, उसके बारे में हम जरूर सदन को बताएंगें और जब नहीं मिलेगी तब भी सदन को अवगत करवाएंगें। ---- (व्यवधान) --अध्यक्ष जी, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि तीन मैडिकल कॉलेज यू.पी.ए. की सरकार ने ही सेंक्शन किए थे और 189 करोड़ रुपये एक-एक मैडिकल कॉलेज के लिए दिया और यह गवर्नमैंट इन कंटिन्यूटी होती है । यू.पी.ए. सरकार ने दो कैंसर हॉस्पिटल भी 45-45 करोड़ रुपये के हिमाचल को दिए । 200 बिस्तरों के मदर एण्ड चाइल्ड हॉस्पिटल हिमाचल प्रदेश को दिए लेकिन जो केन्द्र सरकार पैसा देती है, इन्होंने रेवन्यू का पूछा, मैंने 21 या 22 तारीख को कहा था कि केन्द्र से कोई पैसा नहीं मिला लेकिन जब केन्द्रीय टीम आई तो उन्होंने 63 करोड़ रुपया हमें रिलीज़ किया हमने उसके लिए भी केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया और हम केन्द्र सरकार से चाहेंगें कि हिमाचल प्रदेश की खुले दिल से मदद करें ताकि हम उनका बार-बार धन्यवाद करते रहें।

10/1205/04.2015.केएस/एजी/2

<u>विधायी कार्य :</u>

<u>सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना</u>

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगें कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश(संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश(संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश(संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश(संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

)प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश(संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करेंगें।

10/1205/04.2015.केएस/एजी/3

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश(संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करता हूं।
अध्यक्षः मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश(संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

10/1205/04.2015.केएस/एजी/4

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन)संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

)प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करेंगें
मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करता हूं।

10/1205/04.2015.केएस/एजी/5

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 12) पुरःस्थापित हुआ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

10.4.2015/1210/jt/av/1

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ।

10.4.2015/1210/jt/av/2

सरकारी विधेयकों पर विचार विमर्श एवं पारण

विचार :

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

10.4.2015/1210/jt/av/3

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

<u>पारण :</u>

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) पारित हुआ।

10.4.2015/1210/jt/av/4

विचार :

अब मानीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 201 5 (2015 का विधेयक संख्यांक 12) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 201 5 (2015 का विधेयक संख्यांक 12) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 12) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 12) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

10.4.2015/1210/jt/av/5

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

<u>पारण :</u>

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 201 5 (2015 का विधेयक संख्यांक 12) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 201 5 (2015 का विधेयक संख्यांक 12) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 12) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 12) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 12) पारित हुआ।

श्री बी जे नेगी द्वारा जारी

10.04.2015/1215/negi/ag/1

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13)" पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13)" पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13)" पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13)" पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 6 तक विधेयक के अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2,3 ,4,5,और 6 विधेयक के अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक के अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक के अंग बने।

10.04.2015/1215/negi/ag/2

अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13)" को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13)" को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13)" को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश विधान सभा(सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13)" पारित हुआ।

10.04.2015/1215/negi/ag/3

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्षः अब नियम 324के अन्तर्गत विशेष उल्लेख होंगे। अब श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी, नियम-324 के अन्तर्गत विषय उठाएंगे।

Contd. By JT/UK in English

10.04.2015/1220/JT/1

Sh. Krishan Lal Thakur: Mr. Speaker, Sir, with your permission, I want to raise an important matter under Rule 324 pertaining to my Constituency. The text is as under:

"I would like to draw the attention of the Government to the poor Road connectivity the rural areas of Nalagarh Assembly. There are large numbers of villagers deprived from the connectivity of roads. The following three link roads are pending for the last so many years for want of land availability.

(i) C/o link road to village Rajwain G.P.Lunas.

(ii) C/o link road Kwarn-Ganer-Jagli, G.P.Pale-Da-Khalla.

(iii) C/o link road Zhiran-Zhirkoo-Boundt-Behli, G.P. Keori.

Keeping in view the pendency of these roads, the Government is requested to expedite the construction at the earliest.

Chief Minister: Speaker Sir, the factual position is as under:-

10.04.2015/1220/JT/2

In this regard, it is intimated that there are 614 habitations in total in Nalagarh Block out of which 538 are connected habitations and 76 habitations are yet to be connected .

Balance habitations

250+Population = 5

Less than 250 = 71

Under PMGSY, there is no policy to connect habitation having less than 250 population as per NRRDA guidelines.

Status of Roads:

(i) Construction of link road to village Rajwain (Gram Panchayat- Lunas):

As per core network of Nalagarh block, village Rajwain has been shown as unconnected as per link route L- 138 (Construction of Bhini- Johri- Rajwain road) with a population of 252. Proposed length of

road is 5.500 km. out of which 4.500 km. is in private land and 1.00 km. is in forest land. Private land owners have refused to give gift deeds to department and as per policy in such cases, a notice board displaying that due to non providing of private land Detailed Project Report of this road has not been prepared.

(ii) Construction of link road from Kwarn- Ganer- Jagli GP Pale- Da- Khalla:

This road is also a part of core network with link route L-30 and qualifies under PMGSY. Total length of this road is 6.300 km. out of which 4.390 km. is in forest land and remaining 1.910 km. is in private land. The private land owners are being persuaded

to provide gift deeds and in anticipation of gift deeds, forest case has been prepared and stands submitted to forest department on 08-08-2012.

10.04.2015/1220/JT/4

(iii) Construction of link road to Zhiran- Zhirkoo- Boundta- Behli, GP Keori:

This road consists of two roads.

(a) Gurukund- Kainchimour- Jhiran- Jhiraku- Khaler to Mittian-

This road is appearing under MLA priority works for the year 2008-09 with a length of 12.240 km. out of which 5.345 km. is in forest and balance 6.895 km. is in private land. Forest case of this road has been prepared and stands submitted to the forest department. Only FRA certificate is to be submitted which is with D.C. Solan. The private land owners are being persuaded to give gift deeds.

DPR shall be prepared after the approval of forest case and on receipt of gift deeds.

(b) Kumarhatti- Bonta- Brhli- Daroh- Kalayanpur road:

10.04.2015/1220/JT/5

This road is also appearing under MLA priority works for the year 2009-10 with a length of 15.750 km. out of which 13.405 km. is in forest land and balance 2.345 km. is in private land. The

joint inspection of the road has been conducted and forest case is under preparation. Private land owners are being persuaded to provide gift deeds.

I would like to add that the Hon'ble Member should also persuade the villagers to give gift deeds in respect of the roads which are held up due to this reason.

Contd. By SLS in Hindi . . .

10.04.2015/1225/sls-ag -1

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह जी नियम-324 के अंतर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित का विषय नियम-324 के अंतर्गत आपकी अनुमति से सदन में मैं सरकार के ध्यानार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं जो इस प्रकार है -

"हिमाचल के कुछ क्षेत्रों को जन जातीय घोषित करने सम्बन्धी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन है और सम्बन्धित विधायकों द्वारा आयोग के समक्ष और हिमाचल सरकार के माध्यम से भेजे जाने के बावजूद लम्बित पड़े हैं। मैंने जिला कुल्लू के मलाणा पार्वती घाटी के कुछ क्षेत्रों, द्रंग की चुहार घाटी, सिरमौर मे गिरिपार का क्षेत्र, चौपाल में तहसील कुपवी, सब तहसील नेरवा की कुछ पंचायतें, बैजनाथ क्षेत्र का छोटा भंगाल बडा भंगाल, रोहडू क्षेत्र का डोडरा क्वार Tribal Commission के विचाराधीन है। ज्ञात हुआ है कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र जनजातीय घोषित नही किया गया जबकि उत्तर प्रदेश, विहार व पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्र जनजातीय घोषित कर दिए गए है। मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश के उक्त सभी जनजातीय क्षेत्रों को Tribal घोषित करने हेतु आयोग को रिज्वायन्डर भेजने की कृपा करें।"

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ने 4 मई, 2005 को प्रदेश के जिला सिरमौर का गिरीपार क्षेत्र, जिला कांगडा का छोटा व बडा भंगाल, जिला मण्डी

की चौहार घाटी, जिला शिमला का उप मण्डल डोडरा-क्वार, तहसील चडगांव तथा रामपुर तहसील का 15/20, 6/20, 12/20 क्षेत्र, ग्राम पंचायत तकलेच व धारकली, जिला चम्बा का उप मण्डल चुराह, जिला कुल्लू का मलाणा व 15/20 क्षेत्रों को जन जातीय क्षेत्र घोषत करने का प्रस्ताव जन जातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार को भेजा था। प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव पर भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ने जन जातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार के माध्यम से इन क्षेत्रों को जन जातीय क्षेत्र घोषित करने पर कुछ आपत्तियां भेजी। इन आपत्तियों को दूर करने

के लिए सम्बन्धित उपायुक्तों से पत्राचार किया गया तथा वांछित सूचना भेजने का आग्रह किया गया था। परन्तु सम्बन्धित उपायुक्तों ने सूचित किया कि इन आपत्तियों को दूर करने के लिए ethnographic, sociological and anthropological evidences इकट्ठे करने पडेगे । उपायुक्तों ने कहा कि इस कार्य को किसी विषेशज्ञ संस्था को सौंपा जाए । यह पत्राचार उपायुक्तों से दिनांक 17.07.2010 तक चलता रहा। विषयगत मामले में आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए यह कार्य दिनांक 27-8-2011 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जन जातीय अध्ययन संस्थान को सौंपा गया तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे जन जातीय कार्य मंत्रायल के माध्यम से प्राप्त भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल की टिप्पणीयों व आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत रिर्पोट तैयार करके राज्य सरकार को सौंपे । दिनांक 23 मई, 2012 को निदेशक, जन जातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला ने सूचित किया कि सर्वप्रथम सभी क्षेत्रों का अध्ययन एक साथ न करके केवल तीन क्षेत्रों क्रमश :छोटा व बडा भंगाल (जिला कांगड़ा(, गिरीपार क्षेत्र (जिला सिरमौर) तथा मलाणा व 15/20 क्षेत्र (जिला कुल्लू), का पायलट स्टडी (Pilot Study) के तौर पर अध्ययन किया जाए । निदेशक, जन जातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के सुझाव पर परीक्षण उपरान्त दिनांक 12 जुलाई, 2012 को राज्य सरकार ने प्रथम चरण में जिला सिरमौर का गिरीपार क्षेत्र, जिला शिमला का उप मण्डल डोडरा क्वार तथा जिला कुल्लू का मलाणा व 15/20 क्षेत्र का अध्ययन कार्य करवाने का निर्णय जन जातीय अध्ययन संस्थान को सूचित किया। निदेशक जन जातीय अध्ययन संस्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला ने पत्र दिनांक 24 मार्च 2015 को यह सूचित किया कि इन क्षेत्रों की संयुक्त रिपोर्ट पूर्ण करने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं व

जल्द ही रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी जाएगी । जैसे ही संयुक्त रिपोर्ट जन जातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से प्राप्त होगी इस पर परीक्षण उपरान्त आगामी कारवाई की जाएगी ।

अगली मद.. श्री गर्ग जी

10.04.2015/1230/JT-RG/1

अध्यक्ष : अब श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना अगला विषय उठाएंगे।

Shri Krishan Lal Thakur: Speaker, Sir, I would like to draw kind attention to the Government towards not establishing the big industrial units in Nalagarh Constituency. Since today no big industry either in Government Sector or Private Sector has been established. At present also the industrial units are being established in other part of the State especially in Una District. If so, keeping in view, the potential of the area for industry, the State Government should give the priority for establishing the big industrial units over there. Therefore, I request the Government to establish the industries in the Nalagarh area.

Health & Family Welfare Minister: Speaker Sir, the factual position is as under:-

It is a conscious decision of the State Govt. to promote industries throughout the State. It is with this objective in mind that the entire State has been categorized as A, B & C category, wherein graded incentives are being given in such a manner that Industrial Units located in less developed areas get maximum incentives. The State Govt. has also accordingly set up 59 Industrial Areas and Estates throughout the State. Today, there are 39962 Small Scale Industrial Units with an investment of 7062.52 Crores providing employment to 224481 people and 503 Large & Medium Scale Units with an investment of 11312.30 Crores providing

employment to 60908 persons. Out of these, Solan District alone accounts for 13.40% of Small Scale Industrial Units and 69% of Large & Medium Scale Units in terms of numbers. Similarly in terms of investment, Solan District accounts for 68.38% of total investment made in the State. Majority of these large units are setup in Solan District and are located in Baddi-Barotiwala-Nalagarh (BBN) Area.

Similarly Una District accounts for 9% in terms of number of Small Scale Industrial Units and 6.36% of Medium & Large Scale Units. In terms of investment, this District accounts for 9.9% of total investment in the State. The pace of Industrialization in the State has specifically picked up after the announcement of Special Industrial Package for Himachal Pradesh in January, 2003. It was after this package that the pace of industrialization in BBN area also had picked up and this area saw a big boom in Industrial development. As a result, huge investment by reputed Pharma companies such as Ranbaxy, Alembic, Dr. Reddy's, Johnson & Johnson, Wockhardt, Cipla, Panancea Biotec, Zydus Cadila, Abbott, Mankind & Torrent etc. came in this area. The State Government made significant investment in setting up core infrastructure in the area such as warehouse facility for existing units in BBN Industrial Zone, Container

Parking Facilities for Exporting units in BBN Industrial Zone, Technology Centre full-fledged mega tool room at Baddi, Composite Pharma Testing Lab at Baddi, Common effluent treatment plant (CETP) at Baddi, Hazardous Waste Treatment plant at Nalagarh etc. It has been done mainly to attract new Industries and retain existing Industries in the area. It may be appreciated that the choice of location by an entrepreneur is mainly his

prerogative and is done on specific considerations related to the project such a availability of raw material, proximity of potential market, cost of factors such as land, and availability of infrastructure. The entrepreneurs are free to make their choice in the overall interest of their projects.

Keeping in views the infrastructural availability, Carrying Capacity in terms of social & civic Infrastructure and other related constraints, the Govt. is making an effort to disperse Industries in other potential locations & as a result Industrial Units are also coming up in other parts of the State, especially in border areas such as Una, Sirmour, Bilaspur & Kangra Districts. Keeping in view the potential in these areas, the Govt. has taken a decision in principle to setup the "State of Art" Industrial

10.04.2015/1230/JT-RG/4

Areas at Kandarauri at Distt. Kangra, Pandoga at Distt. Una and Dhabhota in Nalagarh at Distt. Solan, which are at various stages of implementation. The State Govt. itself has no plans to setup big Industrial Units of its own.

In view of the above, it is clear that the Govt. is making all out strenuous efforts to uniformly establish big Industries in the State including Nalagarh area.

Contd by MS in Hindi . . .

10/04/2015/1235/MS/AG/1

अंग्रेजी के पश्चात------

अध्यक्षः इसमें क्लेरिफिकेशन नहीं होती है। अगर कुछ और बात करनी है तो बताइए?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आज सत्र का अंतिम दिन है और सत्र समापन की ओर है। मैंने प्राइवेट मैम्बर्ज डे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का आपको नोटिस

दिया था। उसके बाद आपसे बात करने के उपरान्त मुझे आपने, सचिव महोदय और अन्य अधिकारियों ने ही सजैस्ट किया था कि इस विषय को किसी अन्य नियम के तहत लाया जाए। मैंने उस नियम के तहत भी आधे घण्टे की चर्चा हेतु वह विषय दिया था। मूल रूप से पौंग बांध विस्थापितों की एन्क्रोचमैंट का वह विषय है। शायद सरकार की ओर से सचिव महोदय को उसका जवाब भी आ गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश में दो तरह की एन्क्रोचमैंट्स हैं। एक एन्क्रोचमैंट वह है जिसको हमारे जैसे लोग, जैसे मैंने कई बार कहा कि हम करते हैं। हमारी जमीन के साथ जो जमीन लगती है, उसको एन्क्रोच कर लिया और एक वे लोग हैं जिन्होंने इस देश और प्रदेश की प्रगति के लिए अपनी जमीनें इन बांधों में, चाहे पौंग बांध है, भाखड़ा बांध है, पण्डोह डैम है या अन्य जो हमारे विकास के काम हाइड्रो के चल रहे हैं, उनके अंतर्गत दे दी। मुख्य मंत्री महोदय, अभी हाल ही में आपका देहरा का दौरा था। वहां लोग आपसे मिले थे और आपने वहां आश्वासन भी दिया था। वहां पर पौंग बांध से लगभग 21हजार परिवार विस्थापित हुए हैं और 75 हजार से ऊपर परिवार उजड़े हैं। वे लोग जब वर्ष 1971-72 में पौंग बांध का निर्माण हुआ था, उस समय वहां बगल में ही सैटल हो गए। उस समय एफ0सी0ए0 नहीं लगता था और वह सारी-की-सारी जमीन शामलात थी या डी0सी0 लैण्ड थी। उसमें वे बस गए परन्तु वर्ष 1980 में वह जमीन एफ0सी0ए0 के अधीन आ गई। अब उनको आए दिन, आए साल वन विभाग की ओ से नोटिस आ जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जैसे अभी आपने एक बरड़ समुदाय और दूसरा बंगाला या बंगाणा क्या नाम बताया है, ऐसे समुदायों के लिए आपने.....

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

10.04.2015/1240/जेके/एजी/1

श्री रविन्द्र सिंहः------जारी----------

ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपनी भूमि इस प्रदेश व देश की प्रगति के लिए दी है उनको नियमित करने का मेरा माननीय मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि उस विषय को गम्भीरतापूर्वक लिया जाए। इस बारे में मेरी चर्चा ए.सी.एस. रेवन्यू ज़ोन से भी हो चुकी है। उन्होंने जब देखा तो सराहा कि सच में ये दोनों केसिज अलग-अलग हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संवेदनशील विषय को मानते हुए आप इसके ऊपर गहन चिन्तन करें। जैसे कि बरड जाति, तिब्बती या कोई अन्य जाति यहां पर बताई है

आप उनको रैगुलराईज कर रहे हैं ,। वैसे उनके घर की एक दीवार वन विभाग की है और तीन दीवारें उनकी अपनी है उनको रैगुलराईज करने का एक नियम बनाए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या वहां पर उठी है, जहां कि पन बिजली परियोजना को लगाने के लिए, जैसे कि भाखड़ा डैम है या पौंग डैम है उनमें लोग विस्थापित हुए हैं। भाखड़ा डैम बहुत साल पहले बना था, उससे जो लोग विस्थापित हुए थे उन लोगों को हरियाणा में कुछ जगह जमीन अलॉट हुई और कुछ को नहीं हुई। जिनको ज़मीन अलॉट हुई वे भी वहां का जो वातावरण है, वहां का जो क्लाईमेट है उसको वे सहन नहीं कर सके और कुछ लोग वहां से वापिस लौट गए। बिलासपुर और ऊना में उन्होंने कई जगह पर वे सरकारी भूमि पर बस गए। मैंने पिछले वर्षों में बिलासपुर का मिनी सैटलमैंट करवाया था और जो विस्थापित जहां पर बसे थे अगर वह उपयुक्त पाया गया तो उनके नाम जमीन कर दी गई। अभी मैं हाल ही में ऊना गया था वहां भी जो भाखड़ा डैम का पानी है उसकी वजह से जो विस्थापित हुए थे वहां भी मैंने आदेश दिया है कि वहां पर भी मिनी सैटलमैंट किया जाए। यही समस्या पौंग डैम की भी है। पौंग डैम में जो विस्थापित हुए हैं उनको यह वायदा किया गया था कि सब को राजस्थान के अन्दर जो भूमि पौंग डैम के पानी से सीचिंत होगी उसमें से उनको भूमि दे कर उनको वहां पर बसाया जाएगा। मगर ऐसा

10.04.2015/1240/जेके/एजी/2

नहीं हुआ। बहुत लोगों को जमीन मिली और बहुत से लोगों को जमीन नहीं मिल पाई। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको जमीन मिली, लेकिन वहां के वतावरण से और जो वहां के लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति थी उसकी वजह से लोग छोड़ करके वापिस आ गए। उनमें से कई लोगों ने कांगड़ा जिले के अन्दर कई जगह पर सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा करके अपने मकान बनाए और वहां रहने लग गए। <u>सरकार की यही नीति वहां भी होगी। वहां पर भी हम आदेश देंगे कि मिनी सैटलमैंट किया जाए और जिन लोगों को वहां पर बसाया जा सकता है उनको अवश्य बसाया जाएगा।</u>

समाप्त।

10.04.2015/1240/जेके/एजी/3

नियम-61 के अन्तर्गत चर्चा

अध्यक्षः अब नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा होगी। अब श्री रणधीर शर्मा जी दिनांक 20 मार्च, 2015 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1646 के उत्तर के विषय पर चर्चा करेंगे। माननीय सदस्य आप अपने विचार संक्षेप में रखें। इस चर्चा में और कोई भी भाग नहीं ले सकता है। वही चर्चा में भाग ले सकता है जिसने कार्यालय को पहले सूचित किया हो।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था और इस प्रश्न में माननीय सदस्य, श्री कुलदीप कुमार जी भी प्रश्नकर्त्ता थे। यह प्रश्न 20 तारीख को लगा था। यह प्रश्न था कि गत् दो वर्षों में प्रदेश में टी.सी.पी. के अन्तर्गत कौन-कौन से नए क्षेत्र शामिल हुए। उनकी डिटेल मांगी गई थी। उस दिन वह प्रश्न लगा नहीं था, इसलिए मैंने नियम-61 के अन्तर्गत चर्चा मांगी और आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में जो माननीय मंत्री जी का उस दिन लिखित उत्तर आया था उसमें यह बताया गया था कि प्रदेश में 12 नए क्षेत्र टी.सी.पी. के अन्तर्गत लिए जा रहे हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

10.04.2015/1245/SS-AG/1

श्री रणधीर शर्मा क्रमागतः
टी0सी0पी0 के अन्तर्गत लिये जा रहे हैं। शिमला ज़िला में चौपाल और नारकण्डा; सिरमौर में संगडाह; बिलासपुर में घुमारवीं और श्री नैनादेवी जी; ऊना में अम्ब और गगरेट; हमीरपुर में नदौन, सुजानपुर, भोटा; मण्डी में जोगिन्द्रनगर, सुन्दरनगर और कांगड़ा में बैजनाथ, पपरोला। एक तो अध्यक्ष महोदय, उत्तर से ऐसा लगता है कि सिर्फ ये 12 क्षेत्र ही टी0सी0पी0 के अन्तर्गत लिये गए। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो इस उत्तर से ऐसा लगता है कि श्री नैनादेवी जी नगर-परिषद् को ही टी0सी0पी0 के अन्तर्गत लिया गया। परन्तु जो अधिसूचना जारी हुई है, उस अधिसूचना में इस नगर परिषद् के साथ-साथ और जो हमारी पंचायतें हैं उनके कुछ क्षेत्रों को भी

शामिल किया गया है जैसे ग्वांडल पंचायत है। उसके भी गांव शामिल किये गए हैं। डढोह गांव हैं, भढारन गांव है, ग्वांडल गांव है, वढोह गांव है। इसी तरह से मंढियाली पंचायत के मंढियाली गांव को इसमें शामिल किया गया है। साथ की पालंगरीज़ को शामिल किया गया है और गड़कड़ी पंचायत के भी एक गांव अम्बुवाली को भी इसमें शामिल किया गया है। जो उत्तर में कहा गया है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ श्री नैनादेवी परिषद् है परन्तु अधिसूचना में ये गांव भी लिये गए हैं जिसके कारण उन ग्रामीण लोगों को दिक्कत आ रही है।

उसी तरह से यहां घुमारवीं लिखा गया है। घुमारवीं विधान सभा क्षेत्र में भी घुमारवीं से लगता है कि नगर-परिषद्, घुमारवीं होगा परन्तु वहां पर 12 नई पंचायतों को टी0सी0पी0 के अन्तर्गत लिया गया है। इन क्षेत्रों में इसका विरोध भी हो रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इसके कारण लोगों को बहुत-सी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है कि प्रदेश में जो 12 क्षेत्रों के नाम आए हैं इसमें भी नगरों के अलावा, जैसे किशोरी लाल जी भी इशारा कर रहे हैं, बैजनाथ, पपरोला के साथ अन्य ग्रामीण क्षेत्र भी टी0सी0पी0 में लिये गए हैं। कुलदीप कुमार जी का भी कहना है कि अम्ब और गगरेट के साथ भी गांव लिये गए हैं। विनोद कुमार जी का यही कहना है। इनके सुन्दरनगर लिखा है परन्तु नाचन विधान सभा क्षेत्र के गांव तक उसमें आते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब ग्रामीण क्षेत्रों के टी0सी0पी0 के अन्तर्गत आने से गांव के लोगों को बहुत-सी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। आप जानते हैं कि गांव में लोग किस तरह से मकान बनाते हैं, पशुशालाएं बनाते हैं, वहां गांव को टी0सी0पी0 के अन्तर्गत लेने से उनको नक्शे बनाने पड़ेंगे। आर्किटैक्ट के पास जाना पड़ेगा और

10.04.2015/1245/SS-AG/2

नक्शा पास कराने के लिए मकान कम-से-कम चार बिसवा जमीन पर बना होना चाहिए। फिर उसमें आवश्यक सैटबैक छोड़ने पड़ेंगे। अब इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण रहते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग बहुत कम है उनकी बहुत-सी जमीन नक्शा बनाने की जो फॉर्मैलिटीज़ हैं उसमें चली जायेगी। टी0सी0पी0 नॉर्म्ज के अन्तर्गत उनकी बहुत-सी जमीन चली जायेगी। नक्शा बनाने में उनका खर्चा ज्यादा होगा। फिर मुझे लगता है कि जब नक्शा पास कराना है, टी0सी0पी0 से लेना है तो लैंड यूज भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वह एग्रीकल्चरल लैंड है जैसे वह खड़यातर है, कल्टीवेटिड लैंड

है, लैंड यूज चेंज करना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। किस तरह से गरीब ग्रामीण लोग लैंड यूज चेंज करवा पायेंगे, मुझे तो इसमें बहुत शक लगता है। एक बड़ा ही डर का माहौल इन ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है। वहां ये दिक्कतें आगे आयेंगी परन्तु अभी से ही दिक्कतें आनी शुरू हो गईं। जो नए मकान बनायेंगे, नक्शा बनाना तो दूर की बात है परन्तु अभी अगर किसी ने अपने मकान के साथ दो कमरे भी ऐड कर लिये और उसमें बिजली का नया मीटर लगाना है तो उसको भी नया मीटर लगाने के लिए बिजली विभाग कहता है कि टी0सी0पी0 से एन0ओ0सी 0लेकर आओ। अब श्री नैनादेवी के पास ग्रामीण आदमी बिलासपुर टी0सी0पी0 के ऑफिस में धक्के खाता है, अब चूंकि नक्शा उसने पास करवाया नहीं है तो टी0सी0पी0 वाले उसको एन0ओ0सी0 देंगे नहीं, इससे उसका बिजली का मीटर लग नहीं रहा। इसके कारण बहुत-सी दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं और आगे आने वाले समय में और भी दिक्कतें बढ़ेंगी। मेरा तो यह कहना है कि मेरे क्षेत्र के जो गांव हैं वहां पर अधिकतर आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है। अब इन गरीब लोगों को तो सरकार सहायता देती है। इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, अटल आवास योजना या वैल्फेयर डिपार्टमैंट से इनको मकान दिए जाते हैं। मकान बनाने के लिए 75000/- रुपये की सहायता राशि मिलती है और अगर वे इस तरह से नक्शे पास कराने टी0सी0पी0 के ऑफिस चक्कर लगाते रहे तो 75000/- रुपया तो इसी में खर्च हो जायेगा। इस तरह से बहुत-सी दिक्कतें लोगों को आयेंगी। अभी विनोद जी चर्चा कर रहे थे कि इनके जो गांव हैं वे फोरलेन के साथ लगते हैं उनको टी0सी0पी0 के अन्तर्गत ले लिया।

जारी श्रीमती के0एस0

10.04.2015/1250/केएस/जेटी/1

श्री रणधीर शर्मा जारी---

इनके गांव फोरलेन के साथ लगते हैं, उनको टी.सी.पी. के अंतर्गत ले लिया। लोगों की कुछ जमीन तो फोरलेन में चली गई अब दो-चार बिस्वा बची है उसको वे बेच नहीं सकते क्योंकि टी.सी.पी. के अंतर्गत अगर प्लॉट बेचना हो तो चार बिस्वा जमीन चाहिए। अगर वह दुकान के लिए एक बिस्वा बेच दे तब तो चल भी सकता है। न वह दुकान बना सकता है तो इस तरह से लोगों को बहुत सी दिक्कतें आनी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में यह दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए लोगों की मांग है कि इन क्षेत्रों को टी.सी.पी. के अंतर्गत न लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जब 28 जनवरी को यह नोटिफिकेशन हुई थी तो नैनादेवी के हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष और जो साथ लगती चार पंचायतें हैं, उनके प्रधान और उप-प्रधान, हमारा डैलीगेशन शहरी विकास मंत्री, माननीय सुधीर शर्मा जी से हम मिले थे और इन पंचायतों के हमने प्रस्ताव भी दिए थे कि ये पंचायतें नहीं चाहती कि उनको टी.सी.पी. के अंतर्गत लिया जाए। वैसे तो मुझे लगता है कि इस तरह का निर्णय अगर सरकार ने लेना है तो पंचायतों से पहले सहमति पत्र लेने चाहिए तब उनको टी.सी.पी. के अंतर्गत लेना चाहिए परन्तु इन पंचायतों से और न ही नगर परिषद से किसी से सहमति पत्र लिए गए। अधिसूचना जारी कर दी गई और उसके बाद मंत्री महोदय को ज्ञापन देने के साथ हमने प्रस्ताव भी दिए कि वे पंचायतें इसके अंतर्गत् नहीं आना चाहती और नगर परिषद के लोग भी नहीं आना चाहते । मंत्री महोदय ने कहा था कि हम इस पर जरूर विचार करेंगें परन्तु एक साल से ज्यादा समय हो गया, यह निर्णय बदला नहीं गया और वहां पर लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था । इसके उत्तर में यह तो जरूर कहा है कि जो अति ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां शहरीकरण की सम्भावना कम है उनको बाहर करने पर हम विचार करेंगें। अब विचार करने के तो दो अर्थ है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेरा आग्रह यह है कि जहां शहरीकरण की सम्भावना नहीं है, जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांव हैं, वहां शहरीकरण की

कहीं दूर-दूर तक सम्भावना नज़र नहीं आती उनको टी.सी.पी. के अंतर्गत लेने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए मेरा आग्रह है कि इन गांव को टी.सी.पी. के दायरे से बाहर करने का निर्णय सरकार लें ताकि वहां के लोगों को दिक्कत न आए। यह ठीक है कि विकास की दृष्टि से, शहरीकरण की दृष्टि से टी.सी.पी. के अंतर्गत लेना भी आवश्यक होता है परन्तु उन्हीं क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लिया जाए जहां इसकी आवश्यकता है। कहीं कोई बड़ा संस्थान खुल रहा है उसकी आसपास की पंचायतों में मान लो डवैल्पमैंट होनी है, लोगों ने आ कर बसना है तो वहां उन पंचायतों में टी.सी.पी. को लागू करने का फायदा होगा परन्तु जिन गांव में ऐसी कोई सम्भावना दूर-दूर तक नहीं है कि कभी कोई शहरीकरण होगा या बाहर का आदमी वहां पर प्लॉट लेगा, वहां यह नहीं होना चाहिए। जो गांव के भोले-भाले ग्रामीण है, अति पिछड़े लोग हैं उनको एक तरह से परेशान करने का काम सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना के अंतर्गत किया

गया है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस अधिसूचना को रद्द करें और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र प्रदेश में टी.सी.पी. के अंतर्गत लिए गए हैं, उन सभी क्षेत्रों को टी.सी.पी. के दायरे से बाहर किया जाए, यह मांग मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं। आपने मुझे इस विषय को उठाने की अनुमति दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

10.04.2015/1250/**केएस/जेटी**/3

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, नियम 61 के तहत जो चर्चा माननीय श्री रणधीर शर्मा जी ने उठाई है, क्योंकि मेरा भी इनके साथ एक प्रश्न क्लब हुआ था, आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो टी.सी.पी. एक्ट, कस्बों और शहरों की प्लैंड ड्वैल्पमैंट हो, इसके लिए बनाया गया है लेकिन जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि जो इसमें 12 ओर क्षेत्र ऐड किए गए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां-जहां टाऊन है उनको टी.सी.पी. एक्ट में लाना तो वाज़िब है लेकिन कई ऐसे गांव भी साथ में जोड़ लिए जिनमें अभी सालों तक भी उम्मीद नहीं है कि वहां पर शहरीकरण होगा। इसलिए उन गांव में टी.सी.पी एक्ट लागू करने से लोगों को दिक्कतें व परेशानियां आ रही है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

10.4.2015/1255/jt/av/1

श्री कुलदीप कुमार जारी----------
टी.सी.पी. ऐक्ट लागू करने से लोगों को दिक्कतें व परेशानियां आ रही हैं। गरीब लोगों के पास छोटी सी जगह होती है जिसमें उनको अपना घर बनाने में परेशानी हो रही है। वहां कोई नया कमरा जोड़ना है या मीटर लेना है। बिजली / पानी का कुनैक्शन लेना है; तो उसके लिए परेशानियां आ रही है। चाहे नक्शे पास करवाने हैं; गरीब आदमी उस नक्शे को पास करवाने कहां जाता रहेगा? ये परेशानियां नये एड किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है। वैसे सरकार के नोटिस में ये बातें हैं। सरकार ने पीछे समाचार पत्र में भी दिया था कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। ऊना जिला के कई क्षेत्र इसमें एड हुए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी अम्ब के साथ कुटेड़ा-कैरला, कटौड़-कलां और कटौड़-खुर्द नामक पंचायतें हैं जिनको टी.सी.पी. ऐक्ट में इनक्लूड किया गया है। चिन्तपूर्णी में तो माना जा

सकता है कि वहां पर साडा होना चाहिए। यह होना चाहिए, मैं भी डिवैल्पमैंट के हक में हूं। मगर यह प्लान्ड होना चाहिए। वहां पर कोठी-ढारु पटवार सर्कल है। उसको भी इसमें डाल दिया है। सरकार कानून तो लोगों के फायदे के लिए बनाती है मगर यहां पर ग्रामीण लोगों को परेशानियां आ रही है। जहां पर टी.सी.पी. ऐक्ट लगा है ,वहां गरीब लोग कहां से नक्शे पास करवायेंगे? इन सारी समस्याओं को देखते हुए मेरा सरकार और माननीय मुख्य मंत्री से यही निवेदन है कि मैंने अपने क्षेत्र की जिन-जिन पंचायतों का नाम लिया; वहां पर कई सालों-साल तक किसी प्रकार के शहरीकरण की सम्भावना नहीं है। इसलिए इन क्षेत्रों को उससे निकाला जाए। जैसे माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा कि जो भी क्षेत्र जोड़ने हो उसके लिए वहां के चुने हुए विधायक की सिफारिश या पंचायत का रैजोल्युशन लिया जाए कि आप टी.सी.पी. ऐक्ट में आना चाहते हैं या नहीं। ये बातें तब जाकर ठीक लगती है। अगर लोगों की मर्जी के बिना किसी क्षेत्र को टी.सी.पी. ऐक्ट में लाया जायेगा तो लोगों को परेशानी होगी। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जैसे सरकार ने आश्वासन दिया है तो इस टी.सी.पी. ऐक्ट को रिव्यू किया जाए। ये जो रूरल एरिया हैं; मैंने जिन-जिन क्षेत्रों के नाम लिए हैं उनको इससे ऐक्सक्लूड किया जाए ताकि लोगों की परेशानी खत्म हो। धन्यवाद।

समाप्त

10.4.2015/1255/jt/av/2

आबकारी एवं कराधान मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस विषय के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी का 23 तारीख को प्रश्न लगा था जिसके तहत इन्होंने नियम 61 के अंतर्गत यह विषय उठाया है। यह सही है कि किसी गांव को नगरपालिका, नगर परिषद या टी.सी.पी. के साथ जोड़ने पर दिक्कतें होती हैं। जैसे यहां पर अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि इस बारे में लोगों की बहुत सी शिकायतें आती हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जहां कोई अच्छा काम होता है वहां पर दिक्कतें तो आती ही हैं। मगर कुछ दिक्कतों को उठाने के लिए वहां पर फायदे भी होते हैं। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे नेरचौक में भी एक नगर परिषद बनी। उसमें लोगों का उतना ऐतराज नहीं हुआ जितना वहां चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। वहां उनके द्वारा लोगों को उकसाना; मैंने लोगों से बात की और लोगों के पास जाकर मीटिंग्ज की। मैंने उनसे कहा ,ठीक है, आपको दिक्कतें हैं। आपको घर के लिए नक्शा बनाना पड़ेगा, ---

श्री बी जे नेगी द्वारा जारी

10.04.2015/1300/negi/jt/1

मा0 आबकारी एवं कराधान मंत्री.. जारी....

आपको घर के लिए नक्शा बनाना पड़ेगा, गौशालाओं के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और पानी की परमिशन लेनी पड़ेगी । आपको ये सब कार्य करने पड़ेंगे । परन्तु उतना ही फायदा आपको होगा। आपकी नालियां पक्की होंगी, रास्ते पक्के होंगे, सड़कें बनेंगी और लाईटें लगेंगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो लोग एतराज़ कर रहे थे उन्होंने भी इस बात को माना है। माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा जी के विचारों से मैं सहमत हूं कि इनकी दिक्कतें हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो शहरों के साथ लगते हैं उनको लेने में कोई एतराज़ नही होना चाहिए लेकिन जो अति ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका एतराज़ होना चाहिए। इसके लिए मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जो ऐसे अति ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन गांवों का शहरीकरण होने की कोई सम्भावना नही है उन्हें टी.सी.पी. ऐक्ट से बाहर करने का नीतिगत फैसला सरकार ने ले लिया है। जो आपकी चिन्ता थी उसपर सरकार ने फैसला ले लिया है। दूसरा, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको लिया गया है। यह ठीक है कि एन.सीज. और एन.पीज. के अलावा एन.सी. और एन.पी. के साथ लगते क्षेत्र जहां शहरीकरण बड़ी तेज़ी से हो रहा है उनको सरकार के दिशा-निर्देश एवं स्थानीय जरूरतों को देखते हुए टी.सी.पी. के अन्तर्गत लेना अनिवार्य है। परन्तु जो दोनों माननीय सदस्यों ने कहा उसका फैसला सरकार ने ले लिया है। इसमें मैं कुछ और कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से हैः-

यह सही नही कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मकान, पशु-शालाएं या रास्ते बनाने में अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। नगर एवं ग्राम योजना विभाग, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी तरह की विकासात्मक गतिविधियों को सुनियोजित ढ़ंग से विकसित करवाने हेतु एक मार्ग-दर्शक का काम करता है। भविष्य में सभी घरों को समुचित हवा एवं रौशनी मिले, प्राकृतिक आपदाओं में कम से कम नुकसान हो तथा गांव व शहरों की सड़कें, रास्तें, गलियां यथा सम्भव चौड़ी रहे, के बारे में विभाग हमेशा प्रयासरत रहता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभाग

10.04.2015/1300/negi/jt/2

द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जन साधारण को नगर एवं ग्राम योजना का महत्व बताने व विनियमों की जानकारी देने हेतु लगभग 29 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां के लिए अभी तक अंतरिम विकास योजना व विकास योजनाएं नही बनी हैं, में विभाग ने नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम-1977 के धारा -30(क) तथा नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के अनुबन्ध-8 के अन्तर्गत सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए घर व दुकान व पशु-शालाएं बनाने हेतु छूट प्रदान की है। तथा इस तरह के निर्माण के लिए विभाग में नक्शा पास करवाने के लिए कोई भी आवेदन नही देना पड़ता है। निर्माण करने से पूर्व केवल संबंधित पंचायत प्रधान को साधारण प्रार्थना-पत्र व मूल राजस्व दस्तावेज़ की सूचना देनी होती है। तथा बिजली, पानी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए संबंधित ग्राम पंचायत ही प्राधिकृत है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने जो जवाब डिपार्टमैन्ट के माध्यम से आया था वह भी माननीय सदस्यों के सामने रखा है। फिर भी इनके जो सुझाव आए हैं सरकार इसपर गौर भी करेगी, इसपर विचार भी करेगी । अगर कुछ ऐसी बात होगी उसके लिए भी बात की जाएगी, धन्यवाद।

10.04.2015/1300/negi/jt/3

श्री रणधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, एक तो ये कार्यशालाएं वहां लगाने चाहिए जिस क्षेत्र को आप इसके अन्तर्गत ले रहे हैं। नैनादेवी क्षेत्र के गांव, उस एरिया को ले रहे हैं और वहां तो कोई कार्यशाला लगी नहीं। अगर लगी होगी तो मुझे तो बुलाया नही, न हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष को बुलाया और न हमारे पंचायत के प्रधानों को बुलाया। तो कार्यशालाएं लगानी है तो एक तो उसका विधिवत् एडवर्टाइज़मैन्ट हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की उसमें भागीदारी हो। दूसरा, मैं धन्यवाद करता हूं कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो अति ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको इससे बाहर कर देंगे या बाहर कर दिया है। परन्तु जो बिल्कुल नगर परिषद् के साथ लगते क्षेत्र हैं, जो उसको भी लेना है, उसमें भी मेरा यह आग्रह है कि उनका भी सहमति पत्र, मैं यह नही कह रहा हूं कि आप पंचायत प्रतिनिधियों का लीजिए परन्तु ग्राम सभा का या वहां की नगर...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

श्री रणधीर शर्मा--जारी---

वहां की नगर परिषद है, उसके सभी लोगों का सहमति पत्र उसके बाद ही इसको करें, अन्यथा इसके कारण दिक्कतें ज्यादा आती हैं और फायदे कम होते हैं । मुझे लगता है, मंत्री जी के जवाब से कि सरकार और सरकार के प्रतिनिधि इन दिक्कतों से वाकिफ हैं, और इनका समाधान जरूर करेंगे ।

आबकारी एवं कराधान मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननय सदस्य महोदय ने जो कार्यशाला आयोजित की जाती हैं उसके बारे में कहा है, उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि हम आगे के लिए जहां कार्यशाला आयोजित की जायेगी वहां के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वह प्रधान के रूप में है, चाहे माननीय विधायक के रूप में हैं उनको सूचना दी जायेगी । दूसरा इन्होंने जो कहा कि सहमति पत्र लेना चाहिए । यह भारत सरकार की डायरैक्शन है, उसके अनुसार करना पड़ता है ।

श्री रणधीर शर्माः सर, यह तो हो गया एक और बात है । मेरा एक दो मिनट का प्वाइंट है । सर, आपने इस सत्र के शुरू में अपील की थी कि हम लोग चर्चा में भाग लें, हमने इस सदन में, इस सत्र में, चाहे वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव था, बजट पर चर्चा थी, सबमें भाग लिया और उसके बाद भी हमने जनहित और प्रदेश हित के मुद्दों को चर्चाओं के माध्यम से उठाने का प्रयास भी किया।

अध्यक्षः नहीं यह अलाऊ नहीं होगा । अभी आपने 25 मिनट तक बोला है ।

श्री रणधीर शर्माः सर, इतनी देर में तो मेरी बात पूरी हो जायेगी ।

अध्यक्षः नहीं अब कोई बात नहीं होगी ।

श्री रणधीर शर्माः सर, मैने नियम 62 के अन्तर्गत मैने परसों एक प्रदेश हित का मुद्दा दिया है ।

10.04.2015/1305/यूके/एजी/2

अध्यक्षः यदि आप नियम 61 के तहत कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए । This is not allowed. आप बैठ जाइए, आप पिछली बातें कर रहे हैं । फिर आप नाराज हो जाएंगे। No, I will not allow. Not to be recorded. (व्यवधान) Not allowed. (व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव(श्री नीरज भारतीः) सर, यह कौन से नियम के तहत चर्चा हो रही है ?

अध्यक्षः नीरज भारती जी, आप बैठ जाओ, यह मैं देख लूंगा । (व्यवधान) I will deal with it. You sit down. रणधीर जी, बैठिए आप।

आज इस सत्र का समापन होने जा रहा है और इससे पहले कि मैं आप सबका धन्यवाद करूं मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे चन्द शब्द सत्र के बारे में और जो यहां प्रक्रिया हुई है, उसके बारे में बोलें ।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज इस विधान सभा का बजट सत्र था जो आज अंतिम चरण पर पहूंच गया है । इसमें कई बैठकें हुई हैं, अनेक विषयों के ऊपर चर्चाएं हुई हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और डिबेट भी हुए हैं, बिल भी पास हुए हैं । कुल मिला कर इस सत्र में इस माननीय सदन का माहौल बहुत अच्छा रहा है ।

एसएलएस द्वारा जारी----

10.04.2015/1310/sls-jt-1

माननीय मुख्य मंत्री ... जारी

कुल मिलाकर इस सत्र में इस माननीय सदन का माहौल बहुत अच्छा रहा है। खट्टी-मीठी बातें तो होती ही रहती हैं। खासकर जब विधायकगण बाहर मिलते है तो वह बहुत मीठे होते हैं। मगर जब इस सदन में मिलते हैं तो खटास-मिठास, दोनों चीजें सामने आ जाती हैं। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि यह सत्र काफी सफल रहा है और मैं सभी

माननीय सदस्यों को इसके लिए बधाई देता हूं। सत्र के दौरान सदन की गरिमा कायम रही, उसके लिए भी सभी बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपने अध्यक्ष के रूप में और उपाध्यक्ष महोदय ने उपाध्यक्ष के रूप में जब-जब वह आपकी गैर-मौजूदगी में पीठासीन हुए, इस सदन का बहुत अच्छी तरह से, शालीनता के साथ, बड़े सब्र के साथ संचालन किया है। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से, हमारे जो विधायक हैं, मंत्रिगण हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, मैं आप सबको इस सत्र की सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूं। यहां पर जो हमारे कर्मचारी हैं, आपकी विधान सभा के कर्मचारी हैं, जो यहां पर आपका स्टॉफ है, वह भी इस सत्र में बहुत मशगूल रहे, बिजी रहे, देर रात तक काम करते रहे, इन्होंने दक्षता के साथ अपना कार्यभार निभाया है, वह सब भी बधाई के पात्र हैं।

धन्यवाद।

10.04.2015/1310/sls-jt-2

अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री धूमल जी की अनुपस्थिति अभी खल रही है। इसलिए मैं प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक श्री सुरेश भारद्वाज जी से कहूंगा कि वह अपने विचार रखें।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में विपक्ष के नेता आदरणीय प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी का आज जन्म दिवस है।

अध्यक्ष : भारद्वाज जी, मैं आपसे पहले ही कहने वाला था। मैं अपनी ओर से और माननीय सदन की ओर से धूमल साहब को जन्म-दिन की बधाई देता हूं। आप उन्हें यह संदेश दे दें।

श्री सुरेश भारद्वाज : धन्यवाद सर।

अध्यक्ष महोदय, जन्म-दिन के कारण उनके घर पर भी काफी लोग आ रहे थे। साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस उपलक्ष्य में एक ब्लड डोनेशन कैंप मॉल रोड पर रोटरी टाऊन हाल में रखा है। आई.जी.एम.सी. से आई हुई टीम वहां पर ब्लड एकत्रित कर रही है। ठाकुर कौल सिंह जी इससे प्रसन्न होंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : इसके लिए धन्यवाद।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र में पक्ष और विपक्ष जनतंत्र रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। इस गाड़ी का अगर एक भी पहिया पंक्चर हो जाए या लगा न हो तो जनतंत्र रूपी गाड़ी चल नहीं पाती। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि यह सत्र बहुत सफल रहा है। मैं इनकी भावनाओं से सहमत हूं। मेरे ख़याल से इस सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ,फिर बजट पर और उसके बाद जो मांगों पर चर्चा हुई है, उसकी चर्चा में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ,यह अपने आप में अगर एक रिकॉर्ड नहीं तो पहले के किसी रिकॉर्ड की बराबरी है। काफी बड़ी

10.04.2015/1310/sls-jt-3

संख्या में रखे गए प्रश्नों के जो उत्तर आए हैं उनमें भी माननीय सदस्य लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर विचार व्यक्त कर सके हैं। इस सत्र में जो हाऊस के अंदर खटास और मिठास की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है ,मैं समझता हूं कि अगर यह बात नहीं होगी तो विधान सभा या लोकसभा इत्यादि संस्थानों की आवश्यकता ही नहीं होगी।

जारी ..श्री गर्ग जी

10/**04/2015/1215/RG/Jt/1**

श्री सुरेश भारद्वाज-----क्रमागत

अगर यह नहीं होगी, तो इस प्रकार की विधान सभा या लोक सभा इत्यादि की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर तो दफ्तर में बैठकर राजतंत्र में या तानाशाही या किसी प्रैजीडैन्शियल सिस्टम में काम करेंगे ,तो उस प्रकार से सारा सिस्टम चलेगा। लेकिन जब लोकतंत्र होगा, उसमें अलग-अलग विचार होंगे और अलग-अलग विचारों के होते हुए भी प्रदेश की प्रगति में सब एक रास्ते पर चलें। उसमें वे अपनी बात कहेंगे, सुझाव

देंगे ,तो सरकार उसमें से बहुत से सुझाव मानती है ,जो उनको ठीक लगते हैं कि हमको ये सुझाव मानकर काम करना है जिससे प्रदेश की प्रगति होगी ,उससे इस सदन की गरिमा भी बढ़ती है। चाहे विपक्ष में कोई व्यक्ति हो, तो उसकी बात को भी सुना जाता है , उसकी बात को सुनकर उसके सुझावों के आधार पर सरकार को आगे चलाया जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें अलग-अलग विषयों पर यहां कही गई हैं। नियम-130 के अन्तर्गत भी चर्चाएं थीं, शायद बहुत सारी चर्चाएं नहीं भी आई होंगी , बहुत सारे नोटिस हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा नियम-130 के अन्तर्गत दिए हैं ,जो शायद समयाभाव के कारण या अन्य कारणों से चर्चा के लिए नहीं लग पाए हैं ,लेकिन उनके नोटिस सरकार को चले गए हैं और मैं समझता हूं कि सरकार उनको भी ध्यान में रखकर उनमें जो करने योग्य काम होगा जो सरकार को करना है ,वह अवश्य उसमें करेगी। इसमें किसी भी प्रकार का जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बाहर सब मिल-जुलकर रहते हैं और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबी है कि हम अपनी-अपनी बात दृढ़ता के साथ अपने विचारों के आधार पर सदन के अंदर करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रकार की रंजिश या दुश्मनी आपस में नहीं रखी जाती है। जो भी बात यहां चाहे मजाक में की जाए या तलखी से बात की जाए, वह इस दरवाजे से बाहर जाकर समाप्त हो जाती है क्योंकि सबका लक्ष्य एवं उद्देश्य इस प्रदेश की प्रगति या इस प्रदेश का विकास है। उसके लिए हम सब काम करते हैं। इस अवसर पर जो पीठासीन व्यक्ति होता है ,अध्यक्ष या माननीय उपाध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा हो जाती है और कई बार उनको कड़वे निर्णय भी करने पड़ते हैं जिससे शायद हम लोग सहमत न हों। लेकिन यह जो उनका काम है उसके अन्तर्गत इस प्रकार की चीजें भी कई बार करनी पड़ती हैं और अध्यक्ष महोदय, आपने इस सत्र को बखूबी चलाया है। उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को

10/04/2015/1215/RG/Jt/2

भी बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने भी आपकी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही बहुत अच्छे प्रकार से चलाई है और इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपने दल की ओर से जो पीठासीन अधिकारी हैं उनमें वैसे मैं भी हूं, लेकिन मुझे तो मौका नहीं मिलता क्योंकि मैडम (श्रीमती आशा कुमारी) उपस्थित रहती हैं। इन्होंने सबसे पहले दिन ही

एक सत्र में प्रैजाइड किया है, इसलिए मैं इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और सदन का संचालन बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए इनको बधाई भी देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधान सभा सचिवालय के सचिव और इनके सारे जो अधिकारी एवं स्टाफ मेंबर्ज हैं ,उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि कार्य संचालन में सदस्यों को जिस प्रकार की भी आवश्यकता पड़ी ,उसमें इन्होंने पूर्ण सहयोग दिया है। विशेष रूप से ई-विधान प्रणाली के अंतर्गत हमारे प्रदेश का विधान सभा का सदन चल रहा है और मैं समझता हूं कि इस बार बहुत अच्छे तरीके से अधिक सदस्यों ने इसका उपयोग किया है। एक नए डोंगल के रूप में हमें जो वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई है और मोबाईल एप एपलीकेशन जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने नया इन्ट्रोडियुज किया है उसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय को और विधान सभा सचिवालय को बधाई देना चाहता हूं। इसके अलावा हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि किसी भी प्रदेश में जनतंत्र हो ,हम सब यहां चर्चाएं करते हैं ,अपने सुझाव देते हैं ,लेकिन उसका वास्तविक क्रियान्वयन अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बाकी सभी अधिकारी उसमें काम करते हैं उन्होंने भी बखूबी इस सत्र के दौरान जो सहयोग किया है ,उसके लिए इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त मैं विशेष रूप से जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं--जारी

एम.एस. द्वारा जारी

10/04/2015/1320/MS/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी------

मैं विशेष रूप जो सिक्योरिटी के लोग हैं, जो दूर-दूर से आते हैं और सारे विधान सभा सत्र के दौरान काम करते हैं, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से, क्योंकि लोकतंत्र में चौथा स्तम्भ मीडिया को कहा जाता है। हमारी एग्जैक्टिव, लैजिस्लेचर और ज्युडिशरी के अतिरिक्त मीडिया लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जो सदन में हम, जो मीडिया उठाता है, उनके आधार पर ही यहां उठाते हैं। उनकी जानकारी कई बार हमसे ज्यादा

होती है। चाहे इलैक्ट्रोनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे हमारे फोटोग्राफर्ज हों या उनके साथ काम करने वाले अन्य कर्मी हों, उन्होंने भी इस सत्र को चलाने में जो सहयोग दिया और हमारी बात को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया, उसके लिए इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर से सरकार का, अधिकारियों का, आपका और सब माननीय सदस्यों का इस अवसर पर बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। बैसाखी का पर्व आने वाला है, उसके लिए मैं आपको और प्रदेश की जनता को बहुत-बहुत शुभ-कामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय भारत।

अध्यक्षः माननीय सुरेश भारद्वाज जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सत्र में जो बात उठती है, उसका समाधान यहीं हो जाना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आपने यह बात जरूर कही है और मैं उससे सहमत भी हूं लेकिन आपने उसका कुछ थोड़ा सा असर डीनर पर बताया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आगे के लिए ऐसा न करे। सत्र के बाद की अलग बात है। वह सामाजिक होती है। जो आपने बायकॉट डीनर का किया था, वह आप यहां की बात उधर ले गए। उस पर आपने जरूर भाषण दिया है परन्तु आपसे निवेदन है कि सत्र की बात सत्र में रहे और जो सामाजिक बात है, वह सामाजिक होती है। कल को यदि आपके यहां शादी-ब्याह होंगे तो मैं जरूर आऊंगा। उसमें हो सकता है कि आपकी इच्छा न हो लेकिन बाकी जिन लोगों ने बहिष्कार किया था उन लोगों से भी

10/04/2015/1320/MS/AG/2

निवेदन करूंगा कि आगे के लिए वे ऐसा न करें। जो आपने भाषण दिया है, उसको बरकरार रखें।

आज सत्र का समापन होने जा रहा है और बजट सत्र समाप्ति की ओर चल रहा है। इस सत्र में कुल 22 बैठकें आयोजित हुईं। यह सत्र दिनांक 11 मार्च, 2015 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ आरंभ हुआ। दिनांक 12 मार्च, 2015 को इस सदन में अनुपूरक बजट प्रथम एवं अंतिम किस्त वित्तीय वर्ष 2014-15 का प्रस्तुतीकरण किया गया। तदुपरान्त राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चार दिन तक चर्चा चली। दिनांक 18 मार्च, 2015 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किए। बजट पर चार दिन

तक चर्चा हुई जो लगभग 15 घण्टों चलती रही। इस चर्चा में 42 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 23 मार्च, 2015 को स्व0 श्री सागर चन्द नैयर जो भूतपूर्व मंत्री एवं सदस्य इस सदन के थे, के निधन पर सदन में शोकोद्गार प्रकट किए गए। दिनांक 27 मार्च, 2015 से 31 मार्च, 2015 तक वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु मांगों पर चर्चा एवं मतदान हुआ एवं मांगों को पारित किया गया। तदुपरान्त विनियोग विधेयक पुरःस्थापित एवं पारित किया गया। सत्र के दौरान माननीय सदस्यों ने चर्चा के माध्यम से प्रदेशहित के अनेक मसलों पर बहुमूल्य सुझाव भी दिए। हमेशा की तरह इस बार भी प्रश्नकाल अधिक रोचक रहा, जिसमें कुल-मिलाकर 677 तारांकित प्रश्न एवं 210 अतारांकित प्रश्नों की सूचना पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। नियम 101 के अंतर्गत चार गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत हुए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

10.04.2015/ 1325/जेके/एजी/1

अध्यक्ष जारी----

जिसमें से तीन संकल्पों पर सार्थक चर्चा की गई तथा एक संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत कर इसे चर्चा हेतु आगामी सत्र के लिए स्थगित किया गया। नियम-61 व 62 के अन्तर्गत क्रमशः 1 व 6 विषयों पर चर्चा की गई। विधायी कार्य में 13 लोक महत्व के सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित, चर्चित एवं पारित हुए। नियम-130 के अन्तर्गत प्रदेश हित से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पस्ताव पर चर्चा हुई तथा बहुमूल्य सुझाव दिए गए। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 16 विषय सभा में उठाए गए तथा सरकार द्वारा वस्तुस्थिति बताई गई। इसी सत्र के दौरान विधान सभा की समितियों ने भी 32 मूल प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किए जिनके लिए इनके सभापति बधाई के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा भी अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज सभा पटल पर रखे गए वे भी बधाई के पात्र हैं। पूर्व की भान्ति इस बार भी मेरा यह भरसक प्रयास रहा है कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले जिसके लिए मैं काफी हद तक आप सभी के सहयोग से विशेष कर सदन के नेता व विपक्ष के नेता के सहयोग से सफल भी रहा जिसके लिए मैं आप सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

माननीय सदन के नेता श्री वीरभद्र सिंह जी का विशेषतौर पर धन्यवादी हूं जिन्होंने इस सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग और मार्ग दर्शन दिया। सदन के अपने सहयोगी उपाध्यक्ष, विधान सभा श्री जगत सिंह नेगी का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने

10.04.2015/ 1325/जेके/एजी/2

इस सत्र में काफी हद तक मुझे सहयोग दिया। सभापति, श्रीमती आशा कुमारी जी, जिन्होंने सत्र के दौरान इस सभा को भी सुशोभित किया, उनका भी धन्यवाद करता हूं।

सदन के संचालन में सरकार व विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन-रात सेवाएं दी, वे सभी प्रशंसा के पात्र हैं। प्रिन्ट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के बन्धुओं ने सदन की कार्यवाही को आम जनता तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई, वे भी बधाई के पात्र हैं। इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों एवं सरकारी स्तर पर ई-विधान प्रणाली का भरपूर उपयोग किया गया जिसमें ई-विधान स्टाफ ने भी सराहनीय योगदान दिया, वे भी प्रशंसा के पात्र हैं। माननीय सदस्यों से 168 तारांकित व 59 अतारांकित प्रश्न ऑनलाइन प्राप्त हुए जो कि उत्साहवर्द्धक है।

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करुं, इस सभा में उपस्थिति सभी से मेरा निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सभा में उपस्थिति सभी राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

10.04.2015/ 1325/जेके/एजी/3

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

दिनांकः 10.04.2015 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
शिमला-171004 **सचिव।**